be allowed to resign and take premature retirement and go without any action or inquiry. Sir, the Foreign Minister is here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOK NATH CHATURVEDI): It is a very serious matter.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, it is a matter of national concern. He is supposed to be at number four in seniority in the IB. According to newspapers, he has had detailed sessions with the Chief of the IB. He has been asked to go quietly. I demand that if the facts are true, he should be arrested. We want to know to want extent this wing has been operating.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mrs. Alva, your subject was about the need of airlinking Allahabad with the rest of the country.

SHRIMATI MARGARET ALVA: I am sorry. I took permission of the Chair. The Deputy Chairman has gone. I took permission to mention this and to ask the Government to make a statement. It is a question of security of the country.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir,.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Mr. Narayanasamy, I don't think there is any difference of opinion on this subject which Shrimati Margaret Alva has mentioned. It is a serious matter of national security. It should be taken up with all seriousness that it deserves. The entire House associates itself with the concern as is articulated in regard to the reports which have appeared in the Press.

SHRIMATI MARGARET ALVA: What about that statement?

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, it is a very serious matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): No more associations please. Mrs. Alva has taken permission. Now I have to adjourn the House for lunch.

SHRI V. NARAYANASAMY: We would like to have the response of the Government. It is a very serious matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): No more associations please. Now Special Mentions and the rest of the business will be taken up after lunch. At 2 o'clock, the Minister would make a statement on the rise in prices of wheat and after that Special Mentions and the rest of the business will be taken up. I adjourn the House till 2 0'clock for lunch.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri G. Swaminathan) Now, a Statement will be made by the Minister.

STATEMENT BY MINISTER RISE IN PRICES OF WHEAT

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): पिछले कुछ दिनों में सदन में कई माननीय सदस्यों ने गेहूं की कमी तथा उसके बाजार मूल्य में वृद्धि की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। संयुक्त मोर्चा सरकार पारदर्शिता (ट्रांसपेरेन्सी) में विश्वास रखती है। इसीलिए मैं सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके।

सर्वप्रथम वर्ष 95-96 के रबी मौसम में गेहूं के उत्पादन पर हम दृष्टि डालें। वर्ष 95-96 के खरीफ मौसम, जिसके वसूली अप्रैल, 1996 से शुरू हुई, गेहूं का उत्पादन 622 लाख टन से हुआ। यह पिछले वर्ष 94-95 के गेहूं के उत्पादन 653 लाख टन से लगभग 31 लाख टन कम है। इसका सर्वाधिक प्रभाव सरकारी एजेन्सियों द्वारा की जाने वाली वसूली (प्रोक्योरमेंट) पर पड़ा। वर्ष 95-96 में वसूली 123 लाख टन थी। वर्ष

96-97 में यह वसूली केवल 82 लाख टन पर आ गई अर्थात् 41 लाख टन गेहूं की वसूली कम हुई।

कम उत्पादन और कम वसूली के बावजूद केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा दोपहर के भोजन जैसे सामाजिक कल्याण की परियोजनाओं के लिए भरपूर आबंटन किया जा रहा है। इतना ही नहीं इसके लिए गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गेहूं का निर्यात रूक चुका है। अक्तूबर, 95 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उठान 4.17 लाख टन था इसके विपरीत अक्तूबर, 96 में उठान 7.32 लाख टन हुआ अर्थात् 76 प्रतिशत अधिक।

सामाजिक कल्याण की परियोजनाओं में भी उठान में वृद्धि हुई है। दोपहर के भोजन से संबंधित योजना का भौगोलिक क्षेत्र बढ़ाया गया है। जवाहर रोजगार योजना, सम्पुष्ट आहार जैसी अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं। 75—80 हजार टन गेहूं का उठान प्रतिमाह इन परियोजनाओं में हो रहा है। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उठान में कमी नहीं हुई है, वरन् राज्यों की मांग पर भी यथासंभव आबंटन में वृद्धि भी की गई। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा सामाजिक कल्याण के लिए सरकार द्वारा प्रचालित योजनाओं के लिए हम केन्द्रीय पूल से गेहूं उपलब्ध कराने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारे पास इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त गेहूं है।

अक्तूबर, 1993 से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की खुली बिक्री की भी प्रथा चलाई गयी। गोदामों में अत्यधिक गेहूं होने के कारण भण्डारण की समस्याएं हो गई थी। जरूरत से अधिक मात्रा में गेहूं रखने से कैरिंग कास्ट का भार भारत भारतीय खाद्य निगम को वहन करना पड़ता था। इन्हीं कारणों से वर्ष 1995-96 में प्रतिमाह औसतन 5 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचा गया। अप्रैल, 95 मे मार्च 96 तक खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी बिक्री की मात्रा 63 लाख टन थी। पिछले वर्ष लीन अवधि के किसी-किसी माह में खुले बाजार में बिक्री की गई मात्रा तो साढ़े दस लाख टन तक पहुंच गई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि पिछले वर्ष गेहूं के मूल्य काफी स्थिर रहे। इस वर्ष, चूंकि उत्पादन 31 लाख टन कम हुआ और वसूली 41 लाख टन कम हुई, भारतीय खाद्य निगम के खुले बाजार में बिक्री कम मात्रा में की। केन्द्रीय पूल में गेहूं की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हमने अगस्त से अक्तूबर, 1996 की अवधि में प्रतिमाह 3-4 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने का आदेश दिया। गेहूं की किल्लत का वातावरण फैलते देख पिछले सप्ताह मैंने इसे बढ़ाकर 6 लाख टन कर दिया अर्थात् दिसम्बर 1996 से मार्च, 1997 की अवधि में प्रतिमाह 6 लाख टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में बेच सकेगा। आवश्यकतानुसार इन सीमाओं को बढ़ाया भी जा सकता है।

हमने न केवल खुले बाजार में रिलीज होने वाली मात्रा बढ़ाई है अपितु इस के आबंटन की प्रणाली में भी ऐसे आमूल-चूल परिवर्तन किये हैं जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाया जा सके। खुले बाजार में भारतीय खाद्य निगम की पूर्व की नीति के अन्तर्गत कोई भी रोलर फ्लोर मिल अथवा व्यक्ति असीमित मात्रा में गेहूं खरीद सकता था। इस नीति की कमियों तथा जमाखोरों एवं कालाबाजारियों द्वारा गेहूं की कमी की स्थिति में इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को पहचानते हुए मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया और लगभग पूरी तरह से बदल दिया है। आज, बदली हुई नीति के तहत किसी भी फ्लोर मिल अथवा अन्य को प्रतिमाह 200 टन की अधिकतम सीमा तक की गेहूं खरीदने की अनुमति है। नये आदेश के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा खुले बाजार में बिकने वाले गेहूं की बिक्री में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से अब यह सारी प्रक्रिया एक तीन सदस्यीय समिति की निगरानी में होती है जिसका एक सदस्य सम्बद्ध राज्य सरकार का खाद्य निदेशक भी होता है। नई प्रक्रिया के तहत प्रत्येक माह एक से सात तारीख तक गेहूं खरीदने वालों के आवेदन लिए जाते हैं तथा इस तीन सदस्यीय समिति द्वारा उनकी पूरी जांच होने के बाद भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालयों में आबंटियों की सूची प्रदर्शित की जाती है। इस प्रक्रिया में इतनी पारदर्शिता पहले कभी नहीं थी।

आज सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा कीमतों की वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मैंने 200 टन प्रतिमाह की सीमा बढ़ाकर 500 टन करने का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि इस प्रणाली द्वारा गेहूं आबंटन में राज्य सरकारों के उपक्रमों और सहकारी समितियों को न केवल प्राथमिकता दी जाय वरन् उनसे अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) भी नहीं ली जाय। अन्य को 10 प्रतिशत अग्रिम भुगतान करना होगा। मैंने भारतीय खाद्य निगम की तीन सदस्यीय समिति को गेहूं उत्पादों में वृद्धि के लिए जवाबदेह बनाने का भी निर्णय लिया है। साथ ही यह आदेश भी पारित

किये हैं कि मिलों तथा चक्कियों को गेहूं के उत्पादों के मूल्य को नियंत्रित रखने के लिए वचनबद्ध होने के बाद ही उन्हे गेहूं दिया जायेगा। इन सब कदमों को उठाने के उपरान्त भी यदि माननीय सदस्यों के सामने मेरे विभाग के अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं संबंधी प्रमाणित मामले आते हैं तो मेरा उनसे ऐसे मामलों से तुरन्त मुझे अवगत कराने का अनुरोध है ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा सके।

खुले बाजार में बिक्री की मात्रा बढ़ाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों के आवंटन बढ़ाने के कारण 1 अप्रैल, 97 को बफर स्टॉक नॉर्म से केन्द्रीय पूल का स्टॉक कम हो जावेगा। व्यापक सार्वजनिक हित में तथा गेहूं की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से मैंने बफर नॉम को शिथिल करने का आदेश दिया है। आखिर, बफर तो इन्हीं दिनों के लिए रखा जाता है।

मैं मानता हूं कि गेहूं के बाजार में मूल्य में वृद्धि हुई है, खासकर 10-11 महीनों में गेहूं के थोक बाजार का मूल्य सूचकांक अक्तूबर, 1995 में 268.5 था, जो बढ़कर अक्तूबर, 1996 में लगभग 332.2 हो गया। अर्थात् 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी अवधि में चावल के थोक मूल्य सूचकांक में लगभग 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब हम पिछले 3-4 वर्षों में हुई दामों में वृद्धि पर नजर डालें। जनवरी, 1993 से अक्तूबर, 1996 की अवधि में गेहूं के दामों में 41.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि चावल में 42.5 प्रतिशत। अतएव, यदि चार वर्ष की अवधि में हुई वृद्धि पर हम विचार करें तो चावल तथा गेहूं दोनों में लगभग बराबर प्रतिशत वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय पूल से गेहूं की मात्रा रिलीज के बावजूद यदि गेहूं के बाजार में मूल्य में वृद्धि होती है या अभाव उत्पन्न होता है तो इसके कारण हमें कहीं और ढूढ़ने पड़ेंगे। मुझे यह सूचना मिली थी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रियायती दर पर राज्यों को उपलब्ध कराई गई सामग्रियों में हेरा-फेरी होती है और ये सामग्रियां राशन-कार्डधारियों को समय पर उपलब्ध नहीं होती । संयुक्त मोर्चा की सरकार के गठन के कुछ ही समय बाद मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राज्यपालों को पत्र लिखकर कालाबाजारी तथा जमाखोरी रोकने हेतु कारगर उपाय करने का अनुरोध किया था। कई राज्यों से जवाब भी आए। मैंने स्पष्ट किया था कि "आवश्यक वस्तु अधिनियम" तथा "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" का समुचित प्रयोग किया जाए। इसके अन्तर्गत बनाए गए नियम आदि में कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो वे शीघ्र सुझाव भेजें। यदि राज्य में राशन की दुकानों पर समय पर राशन उपलब्ध नहीं होता तथा डायवरसन हो तो इसके लिए राज्य सरकारों को समुचित कदम उठाने होंगे। मैंने मुख्यमंत्रियों तथा खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी उनका इस ओर आकृष्ट किया कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर गहन पर्यवेक्षण करावें।

सितम्बर, 1994 में केन्द्रीय पूल में पर्याप्त गेहूं उपलब्ध होने के कारण राज्यों को यह निदेश दिया गया था कि वे गेहूं के वितरण तथा स्टाक आदि पर नियंत्रण शिथिल कर दें। अब भिन्न परिस्थिति होने के कारण सितम्बर, 94 का निदेश वापस ले लिया गया है। मैंने उन्हें लिखा है कि राज्यवार इसकी समीक्षा करें और समुचित कार्रवाई करें। राज्य सरकारों से मेरी अपेक्षा है कि वे गेहूं की होल्डिंग लिमिट स्थिर करेंगी और कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगी।

कुछ लोगों में यह गलतफहमी है कि भारत से अत्यधिक निर्यात के कारण गेहूं की कमी हुई है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष 96-97 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4 लाख 31 हजार टन गेहूं निर्यात हेतु बेचा गया। परन्तु जून, 96 के बाद निगम द्वारा निर्यात हेतु कोई बिक्री नहीं की गई है। वह पिछले वित्तीय वर्ष 95-96 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किये गये समझौते (कमिटमेंट) को पूरा करने के लिए किया गया था। निर्यात के लिए बिक्री का समझौता पूरा न करने पर भारतीय खाद्य निगम को हर्जाना देना पड़ सकता था। हमने केन्द्रीय पूल से वर्ष 96-97 के लिए निर्यात हेतु कोई नया समझौता नहीं किया है। इतना ही नहीं पिछले वित्तीय वर्ष 95-96 तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में गेहूं उत्पाद के निर्यात पर कोई रोक नहीं थी। गेहूं की किल्लत को देखते हुए सरकार ने गेहूं के उत्पाद का निर्यात "प्रतिबंधित सूची" (रेस्टक्विड लिस्ट) में कर दिया है।

हमने भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में गेहूं बिक्री दर को बढ़ाकर रेशनलाइजेशन भी किया है। पंजाब — हरियाणा में पहली अप्रैल, 1996 से बिक्री दर 415 रुपये से बढ़ाकर 441 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। फिर अगस्त, 96 में इसे बढ़ाकर 455 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया और पहली सितम्बर, 96 से 490 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। देश के अन्य भागों में इस मौलिक दर पर रेलवे भाड़े को जोड़कर बिक्री दर निर्धारित की गयी है। अब खुले बाजार में गेहूं

की बिक्री दर 490 से लेकर 572 रुपये प्रति क्विंटल तक हो गयी। विभिन्न स्थानों के लिए हम समय-समय पर खुली बिक्री की दर में उतार-चढ़ाव करते हैं। निर्यात मूल्यों पर खुली बिक्री करने का एक उद्देश्य यह भी है कि बाजार-मूल्य कम रहे।

भारत की राजधानी दिल्ली में गेहूं न उपलब्ध होने की माननीय सदस्यों ने विशेष रूप से इस सदन में चर्चा की है। राजधानी क्षेत्र दिल्ली को हम 60 हजार टन गेहूं तथा 20 हजार टन चावल प्रति माह आबंटित करते रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में गेहू का आबंटन तथा उठान इस प्रकार रहा है:—

	आबंटन	उठान
जुलाई, 1996	60,000 टन	41,800 टन
अगस्त, 1996	60,000 टन	44,900 टन
सितंबर, 1996	60,000 टन	47,800 टन
अक्तूबर, 1996	60,000 टन	40,800 टन

इसके अतिरिक्त दिल्ली राजधानी क्षेत्र में खुली बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम ने निम्नलिखित गेहूं की मात्रा रिलीज की थी:—

अगस्त, 96	12 हजार मे० टन
सितंबर, 96	10 हजार मे० टन
अक्तूबर, 96	15 हजार मे० टन
नवम्बर, 96	20 हजार मे० टन

राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए केन्द्रीय सरकार ने विशेष पहल की है। दिल्ली में गेहूं की बढ़ती कीमत को नियंत्रित करने के लिए सुपर बाजार की 150 शाखाओं तथा केन्द्रीय भण्डार की 72 शाखाओं द्वारा 6 रुपये 40 पैसे प्रति किलो की दर से अगमार्क आटे की बिक्री शुरू की गई है। इन दोनों संस्थानों के लगभग 39 चलते-फिरते वाहनों की इसी दर पर झुग्गी-झोपड़ियों में तथा दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में आटा बेचने को कहा गया है। आटे का यह मूल्य कल से यानी 9 दिसम्बर लागू हो गया है। मुख्य समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकाला गया है। इस परियोजना हेतु हम पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराएंगे क्योंकि हमे कीमत कम करनी है।

उपर्युक्त परियोजना को देश के सभी राज्यों में लागू करने हेतु केदर सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दी है। जो राज्य अपनी सहकारी संस्थाओं या अन्य उपक्रमों के द्वारा उचित मूल्य पर आटा बेचने को तत्पर हैं उन्हें हम खुले बाजार की दर पर भारतीय खाद्य निगम से गेहूं उपलब्ध करवायेंगे। राज्य सरकारें इस योजना का पूरा लाभ उठाएंगी ऐसी मेरी आशा है।

हमारी नियत साफ है। गेहूं के उत्पादन में कमी से उत्पन्न स्थिति का हम दृढ़ता से सामना करेंगे। कमजोर वर्ग के लोगों का हित तो हमारे लिए सर्वोच्च है ही, समाज के सभी वर्गों को गेहूं उपलब्ध हो इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जितने भी गेहूं की आवश्यकता होगी उसे राज्यों को आबंटित करेंगे।

मैं चाहूंगा कि रोलर फ्लोर मिल्स, चक्की ओनर्स, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता आदि सभी सरकार को सहयोग करें ताकि मूल्यों में अनुचित वृद्धि न हो। मुझे विश्वास है वे सरकार को ऐसा मौका नहीं देंगे जिससे सरकार को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत उपलब्ध शक्तियों का प्रयोग करना पड़े। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जब से मैंने खाद्य मंत्री का पदभार संभाला है, भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी है। संयुक्त मोर्चा सरकार भ्रष्टाचार से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कर सकती। दो मामलों को मैंने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच हेतु सुपुर्द किया है। मैं उनका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि वे जांच के अन्तर्गत हैं। दोषी पदाधिकारियों को, जांच के बाद, दण्डित किया जाएगा, यही मेरा आश्वासन है। मैं दूध का दूध और पानी का पानी करने में विश्वास रखता हूं।

माननीय सदस्य श्री शिवचरण सिंह जी ने राजस्थान में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली बिक्री में की गयी तथाकथित अनियमितताओं पर ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। जांच में कुछ समय अवश्य लगता है लेकिन तथ्यों को छिपाने में मेरी दिलचस्पी नहीं है। जांच और जांचोपरांत की गई कार्रवाई से माननीय सदस्य को एक सप्ताह में अवगत करा दूंगा।

पिछले कुछ दिनों से गेहूं की कमी शायद गंभीर न भी हो पर इस संबंध में कालाबाजारियों तथा जमाखोरों द्वारा बाजार में गेहूं के कृत्रिम अभाव को जबरदस्त रूप से उभारा है। मैं उन्हें सचेत करना चाहूंगा कि इच्छा शक्ति द्वारा सभी रास्ते साफ हो जाते हैं। हर तरह से हम कीमतों पर नियंत्रण रखने से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे पास इफरात से गेहूं है, जन वितरण प्रणाली और वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए गेहूं के स्टाक में हमारे पास कोई कमी नहीं।

अंत में इसी संकल्प के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे दिल के दर्द को पहचानते नहीं हम उनके तबसरों को मानते नहीं।

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan): Vice Chairman, Sir, I have to seek certain clarifications from the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Mr. Bhandari, I have already 12 names before me. If you want to seek clarifications, then you also give your name.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Is not my name there? I have already given my name.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri G. Swaminathan): yes, your name is here at Sl. No 8. Now, Shri Gurudas Das Gupta is to seek clarifications.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, the statement of the hon. Minister is quite elaborate. He had been trying, while reading out the statement, to find our the factors or the causes that have led to the increase in the price of wheat. But, may I submit that tne hon. Minister, most unfortunately, has not been able to understand the gravity of the situation? He has not been able to find out what has been the actual increase in the price of wheat and the fantastic rise in the price of wheat has led to a serious imbalance in the price situation of the country. While the Minister says that there is only 25 per cent increase in the price of wheat — according to him, there has been only 25 per cent increase in the price fo wheat — I think there has been nearly 60 per cent increase in the price of wheat. The statistics that have been supplied or the statistics that he has been able to put his fingers on, Sir, I can say, are unrealistic and the situation ruling in the market is much more dismal than what he has been able to find out.

He finds satisfaction in saying that three-four years back, there had been increase in the price by 41 per cent, now it has been only 42 per cent. Comparatively, there has been only one per cent rise in the price as compared to the corresponding period of the last three years. Sir, this is a gross under-statement and the situation prevailing in the market is much more serious than what is made out to be. Sir, according to me, *atta* is being sold in Delhi between Rs. 9 and 11. That is the report. May be, in some places the prices are higher. What I am saying is that...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It is Rs. 14 a kilo. My friend may not be knowing. Today, it is Rs. 14-15 a Kilo.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The difference between you and Narayanasamy is that he goes to market everyday but you go once a week only.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I go to the market. My friend,... *(Interruptions)*... Narayanasamy goes to market for something else. I go to market for vegetables. Whatever might be, it is quite that the range of increase is much more than what the Minister says. It may be Rs. 11, it may be Rs. 12, it may be Rs. 13. The range of increase is much more than what the Minister says. Sir, because of the increase in the price of wheat there is an all-round increase in the price of other essential commodities. The price of rice is around Rs. 15 in Delhi. Medium grade on rice is Rs. 15/-. The increase in the price of wheat and rice has led to a systematic increase in the price of most of other commodities including vegetables, milk and many other necessary essential commodities of public need. Today, we are facing a double digit inflation, absolutely a double digit inflation, a run-away inflation and the basic cause for the increase in the prices of wheat and rice is due to a serious shortfall in production. A serious shortfall in production has been caused because of the wrong agriculture The second question that arises is that there has been a failure in procurement and deliberately the procurement was not done. I hold the previous Government responsible for it.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri G. Swaminathan): Please put your question. ...*(Interruptions)*.. There are 14 other Members also who want to seek clarifications. ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I am putting my question.

SHRI V. NARAYANASAMY: Their Government is ruling now. Why is he holding the previous Government responsible? He should speak with full responsibility ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I am speaking with full responsibility.

SHRI V. NARAYANASAMY: He is politicising the issue.

THE GURUDAS DAS GUPTA: I am not politicising the issue.

SHRI V. NARAYANASAMY: He is accusing the previous Government ...*(Interruptions)*... Minister are there in the Government who belong to his party. ...*(Interruptions)*... He has to remember that. ...*(Interruptions)*... Why do you not check blackmarketing and hoarding? ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I am able to make my own point. The hon. Members who have different views, can also make their point.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri G. Swaminathan): The point is that you have to seek clarifications on the statement made by the Minister.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, I beg to differ. ...*(Interruptions)*... Sir your judgment shall prevail. I shall bow down. But, the point is that this House has never discussed price rise. There has been no full-fledged discussion on this issue. This statement gives us scope and opportunity to know the realities of human life. The realities of human life are much more distressed than we actually believe them to be. Therefore, Sir, please allow a full-fledged discussion on this issue to the extent possible.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri G. Swaminathan): But, not today. Now you seek only clarifications.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Okay. Sir, my first question was as to why there was decline in the production of food-grain. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: The Agriculture Minister has to answer it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: My second question is as to why to procurement has been so low, so disporportionate to the fall in production.

SHRI JOHN. F. FERNANDES (Goa): Due to Congress misrule!

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No, for this I definietely hold the present Government responsible. The previous Government is responsible for wrong economic policies, wrong agricultural policy, unfettered liberalisation and for lifting ban on the export of foodgrains. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: But this Government is following all those policies. ...*(Interruptions)*...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The next point is that the hon. Minister says that there has been an increase in the stock, therefore, they have allowed free sale by FCI from its godowns. Just imagine a manufacturing concern can purchasing 200 tonnes and an individual can also purchasing 200 tonnes. What will an individual do with such a huge quantity? Sir, the free sale was allowed by the Government to bring down the prices. But it has resulted in stock-piling. The free sale was allowed by the Government to have an impact on the movement of wheat in the country. But it has led to stock-piling. What can an individual do with one-time purchase of 200 tonnes? So, this stock-piling has been due to the wrong policies of the Government because to an extent it has allwoed free sale of even 200 tonnes to individuals at one go.

Sir, my next question is with regard to FCI. Sir, as long as the Food Corporation of India is not reorganised, restructured, revamped and is not taken care of by the Government, I believe, no food policy in the country can find any success. It has been a den of corruption; it has been a den of mismanagement over the years. Hon. Members from all sides must realise that the FCI which was built up in the country-and it goes to the credit of the previous Government-has become a den of corruption over the years. Therefore, I would like to know whether he is aware that the Food Corporation of India is far from being normal, far from being transparent and far from being conducive to bring down prices. If so, will he consider restructuring the managemnet of FCI? Sir, it must be done very expeditiously. The hon. Minister has come down very heavily on that.

My fifth question is, there should be a 'Stock Audit'. I know there are innumerable instances. For example, showing wrong figures about the stock that is given by the F.C.I. Because they are selling away, there has to be a regular stock audit of the stock which is there in different places. If this stock auditing is not done, then it will be very difficult and impossible to bring down the prices.

My sixth question is, the Public Distribution System has almost failed despite honesty, conviction and commitment of my friend, Mr. Yadav. Sir, the fact remains that, if you go to a retail shop under Public Distribution System in a metropolitan city, you will find that today there is no rice, tomorrow there is no *atta* and on the third day there will be no sugar. The total retail outlet that constitutes the PDS has almost collapsed. There is none to look after it. There is none to monitor it. And there is none to supervise it. It is only left to the sweet will of a small shopkeeper who is always trying more to make profit out of that than to supply at the prescribed rates to the common people. Therefore, Sir, this question is very important. Hence, I suggest that the PDS has to be revamped and if it is revamped, there has to be popular zonal committees in different States. It is impossible for the Government and the police to monitor the activities of PDS and also small shopkeeper. Therefore, my suggestion to the hon.

Minister, in the form of a question is, will he agree to the setting up of citizens' committees at different levels to really monitor how this PDS is functioning?

My last question is, the Essential Commodities Act must be vigorously implemented. I want a de-hoarding campaign to be done, starting from Delhi. I know there are places where huge stocks of foodgrains are being maintained deliberately. I want, let a de-hording campaign be started from Delhi. If the Government has the will, if the Govèrnment does it with a political conviction, and if the Government really does it at one or two places then panic will go down the spine of the blackmarketeers. If hoarders and blackmarketeers are not afraid of the law enforcement agencies, if they believe that they are going to be soft-pedalled, if they believe that there is not enough patrolling in important positions, then you cannot bring down the prices because the message has gone down. There is a shortfall in the production and due to this there is a likelihood of increase in the prices. On seeing the failure of the Agricultural Policy, there has been rampant hoarding everywhere in the country. The Government must come down heavily on it. Let the credibility of the Government be tested in the work that it is going to do with regard to hoarding in the city of Delhi. Let the Government seek the cooperation of the Govèrnment of Delhi also. Let the Opposition party which is running the Government of Delhi, cooperate with the Central Government and let the Central Government be cooperative with the Government of Delhi. Let us see, for the first time, that the Government of India

is serious so far as enforcement of law is concerned. Let the hoarders feel that it will not be a free-for-all.

Sir, lastly, I would like to ask the hon. Minister to seriously consider, — I know that export of foodstuffs has been suspended — if he wants to earn foreign exchange, the outlet that has been allowed by the former Government so far as export of foodgrains outside the country is concerned, should be reviewed. It is not a question of suspension for the time being. it should be reviewed. I believe, if the Government cannot do anything with regard to the inflationary situation, the real wage of the common man will come down. I would like to mention that 40% of the people live below the subsistence level. ...it is going to be the single biggest problem, which may be a cause for some convulsions in the country. No Government can function in the country if the right of the people to have two square meals a day is not protected.

Therefore, the Government must rise to the occasion and give again the proof of its credibility by implementing the thing that it wants to do, so far as the inflationary situation in the country is concerned.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The hon. Member has spoken for almost twenty minutes. If every Member is going to take that much time, I think the disucssion would go on for a longer time. Therefore, I would request hon. Members to be brief. *(interruptions)*

Mr. Bhandari has to go for a meeting. Therefore, he requested that he be allowed. I thought I would permit him, if other Members do not object.

Shri Sunder Singh Bhandari, please.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: उपसभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से उनके वक्तव्य के संबंध में कुछ बातें जानना चाहता हूं। उन्होंने भी माना है कि पिछले साल प्रोक्योरमेंट कम हुआ। मैं उन्हें इस बात की छानबीन करने के लिए कहना चाहता हूं कि फिर यह 25 लाख टन निर्यात करने का फैसला किन कारणों से लिया गया था? यह पिछली सरकार ने किया होगा, लेकिन एक्सपोर्ट कितना किया है, यह आपने फिगर दिया है। आप कुल कितना एक्सपोर्ट करना चाहते थे? मेरी जानकारी यह है कि 25 लाख टन एक्सपोर्ट करना चाहते थे। आपने बीच में रोक दिया, सितम्बर में रोका।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी परमीशन से एक मिनट, इसमें 25 जून के बाद एफ०सी०आई० ने कोई निर्यात नहीं किया। मैंने यह स्पष्ट इसमें जिक्र कर दिया है।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: लेकिन जो कमिटमेंट हो गए थे, उनको पूरा करने के लिए आपने इजाजत दी। यह बात बिल्कुल साफ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात यह है कि आपने खुले बाजार में नवम्बर में एक लाख टन गेहूं छोड़ा। अब इस बात की जांच करना जरूरी है कि इस सब के बावजूद गेहूं के दाम क्यों बढ़ गए। क्या इसके लिए यह कारण है कि जो आरक्षित जमा-राशि है, उसकी मात्रा बढ़ गई? पहले शायद यह केवल 10 प्रतिशत थी, अब उसको 50 प्रतिशत कर दिया गया है और इसलिए अब चक्की वाले या छोटे व्यापारी के लिए यह बाजार में दी हुई मात्रा उनके बूते के बाहर हो गई है। अब यह तरीका निकाला गया है बड़े और चुने हुए व्यापारियों को लाभान्वित करने का। क्या आप इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस समय चक्की वाले और छोटे व्यापारी गेहूं के बाजार से लगभग बाहर हो गए हैं। फिर फ्लोर रोलर मिल पर आपने 200 टन की सीमा लगाई है, लेकिन आप इस बात की जांच करिए कि रोलर मिलों को क्या पिछले चार महीनों में पांच-पांच हजार टन गेहूं मिला है। यह कैसे हो गया, किनकी वजह से हो गया? क्या इसमें कोई, जिसको सुविधा शुल्क कहते हैं, इस सुविधा शुल्क की मात्रा भी जुड़ी है इस प्रकार से कुछ ऐसे चुनिन्दा लोगों को लाभान्वित करने के लिए?

उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं के मामले में आपने रोक लगाने का फैसला किया है। पर मैदा और सूजी के बारे में आपका क्या फैसला है? क्योंकि आखिर मैदा और सूजी भी गेहूं से तैयार होता है। मेरी जानकारी में पांच लाख टन मैदा, सूजी का निर्यात हो चुका है। क्या आप इसके बारे में भी विचार करेंगे कि जब गेहूं की कमी है, लोगों को महंगा भाव देना पड़ रहा है तो इनके निर्यात के बारे में भी पुनर्विचार हो? मेरा आपसे यह कहना है।

महोदय, अभी भी बहुत सा गेहूं पंजाब में पड़ा है और जिन-जिन राज्यों में गेहूं की कमी है वहां यह नहीं पहुंच पा रहा है।

उसको पहुंचाने के लिए आप तुरंत व्यवस्था करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक और जानकारी मुझे चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं ओपन मार्किट में बेचा जा रहा है और मज़े की बात यह है कि रेलवे की तरफ से जो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम का अनाज ले जाने के लिए कंसेशनल रेट्स पर डिब्बे दिए जाते हैं, उनका उपयोग वहां से लिए हुए अनाज को, जो ओपन मार्किट में दिया गया है, उठाने के लिए करके वे उन कंसेशनल डिब्बों का फायदा भी उठाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वितरण प्रणाली के बारे में थोड़ा और अधिक पारदर्शी होने की आवश्यकता है। आप पारदर्शिता में विश्वास करते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसको पारदर्शी बनाइए। इसी तरह से, यह जो बेचने की आपने मैक्सिमम् सीमा लगाई है, इसके बारे में आप फिर से विचार करिए और यह जो सिक्युरिटी मनी की बात है, इसको इस मात्रा में घटाइए कि सामान्य चक्की वाला और छोटा व्यापारी भी इन चीजों को हासिल कर सके।

इन्हीं प्रश्नों पर मैं चाहता हूं कि आप सरकार की स्थिति को स्पष्ट करें। धन्यवाद।

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, I think this is the longest statement any Minister has made before this House—it is a 9—page statement—and it is very confusing for the Members to remember all the points. All the same, Sir, the Minister has mentioned that this is a malady of the past. We do not want to dispute that point. Mr. Gurudas Das Gupta has also raised this point.

The question here is, the Minister has named the free mid-day meal scheme. This scheme was started by the Government two years back when we had an excess buffer stock and we had no space in our godowns. I think the scheme was very relevant at that point of time, but when we find that we are short of weath by 31 lakh tonnes, I don't think so. And the Minister has also stated in page 2 of his statement that the geographical area for this scheme has been increased. May I know from the hon. Minister when this decision to geographically increase this area was taken and whether it was taken after the new Government came to office, and why this has been done when there are not enough foodgrains in the country. Secondly, Sir, we do not know to which State these 75—80 thousand tonnes of wheat are allocated, because there is also a State quota to the different States and this quota being released in the name of the mid-day meal scheme becomes a duplication. I would like to know whether the State quota has been reduced to that extent in view of this quota being supplied to the different States in the name of the mid-day meal scheme. I don't know how far this mid-day meal scheme is a success or whether the wheat reaches the hoarders and black marketeers by pilferage. Also, I do not know what the sincerity of the Government is: Daily we read in the papers that corporate houses are being raided—there I want to support them; it is a good thing—but we do not see the establishments of black marketeers and hoarders being raided—and this is an artificial problem created by hoarders and black marketeers because the Government is very lenient towards them.

Sir, it is the practice in the States that the quota under the Public Distribution System is not released on time, and they usually get the quota for a fortnight at a time and that quota too is released only during the last two days of the fortnight so much so that people do not have the time to procure their quota of rations and, then, the quantity of rations not drawn is not accounted for. The Government does not take stock of the balance quantity with the fair price shops under the Public Distribution System. As a result, this wheat is pumped into the black market. May I know from the hon. Minister whether they will have a foolproof mechanism so that the States' quota is given to them on time and also whether they would take stock of the

fortnightly balance of the quota and see to it that the balance quota is either returned or accounted for in the next fortnight? Is there any mechanisam to ensure this or is it a free—for—all—free for the hoarders?

This Government has not taken any serious decisions. We know that inflation has shot up because they increased the prices of petroleum products. This was bound to happen and you can't put the blame on the previous Government. Sir, these are the main clarifications I would like to seek from the hon. Minister.

Sir, the Minister says that they have reviewed the past policies.

When you had a shortage of 31 lakh tonnes of wheat, why did you export 4.31 lakh tonnes of wheat? What is the price of wheat in the international market? It is much cheaper than the price at which we sell it. Why did the Government not arrange it from foreign countries to fulfil this commitment?

Again, the hon. Minister has said, "In case the State Governments want any quota, let them go to the FCI, and it would release it." As the Centre has allowed edible oil imports, will it permit the State Governments to import wheat directly from abroad? Wheat is cheaper in the international market than that sold by the FCI.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI RAMCHANDRAN PILLAI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, now our country is facing a very serious situation. Particularly most of our cities are facing a very severe shortage of foodgrains. Because of the servere shortage of foodgrains, the price of wheat particularly is soaring up. The Government has taken some steps, but these steps are not appropriate to the seriousness of the present situation. The Government should expedite these measures and then try to find a solution to the problems of the poorer sections in our society.

I do remember that the Government was so complacent at the time of the Food Summit in Paris that it submitted a paper before the Summit stating, "We are producing 191 million tonnes of foodgrains, and we have a buffer stock of 36 million tonnes of foodgrains."

The 36 million tonnes of food stock is a record food stock. But the reality is that we are not producing sufficient foodgrains in country. The Government is complacent about the food situation, but as per the present calculation of the people's demand for nutrition, by the end of this century we require 240 million tonnes of foodgrains. So, in the next three years' time we have to produce an addition of 50 million tonnes of foodgrains per year in this country.

Mr. Vice-Chairman, Sir, last year our production of foodgrains was 191.1 million tonnes. This has come down to 190.7 million. So, there is a fall in the production of foodgrains in the country. So, what we require is a phenomenal increase in the production and productivity of foodgrains in this country. We have a severe shortage of foodgrains at present in this country. and by the end of this century or in two or three years' time, I am afraid that there will be starvation deaths here. Is the Government aware of the seriousness of the situation, and is it taking appropriate measures?

The other issue I want to bring to your notice is that there is a great fluctuation in the prices of most of the crops in this country. Earlier this great fluctuation in the prices was confined to non-foodgrain items. Now this great fluctuation is taking place in the prices of foodgrains also. Who is causing this great fluction in the prices? The middlemen are causing this, and the traders are causing this. Of course, mill-owners and businessmen have formed a *mafia* in regard to all these crops, and they are causing this great fluctuation.

Who are the people who are affected by this fluctuation? Actually the poor peasants are affected by the fluctuation because they do not have the resources to hold their harvests and to wait for a favourable opportunity to sell their crops. Then, poorer sections of the population, who purchase these foodgrains are also affected by the great fluctuation in these prices.

So, the Government should look into all these aspects and take appropriate measures to actually revamp the entire crop marketing system in our country. A lot of discussion is going on the marketing system existing in our country. These *mafia* groups are operating under the present system, and they are causing these fluctuations.

A lot of wastage is taking place. A lot of corruption is there. So, I would request the hon. Minister not to confine himself to the release of buffer-stock that is available with the Government, but at the same time take proper measures for increasing the productivity in the foodgrains and also for revamping the whole marketing system that is existing in the country. The Government has admitted that there is corruption. Blackmarketeers and corrupt traders are there, but so far nobody has been arrested. So, I would like to know whether the Government would rise to the occasion and take severe action against the blackmarketeers and protect the interests of the poorer sections.

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ही खेद के साथ आज फिर एक बार गेहूं की मूल्य वृद्धि और आटे के न मिलने की बात यहां उठा रही हूं क्योंकि मैंने इस मुद्दे को पहले भी उठाया था। मंत्री जी एक बहुत लम्बा-चौड़ा स्टेटमेंट लेकर आए हैं। मैं उनसे कुछ सवालात ही पूछना चाहूंगी। पहली बात यह कि क्या मंत्री जी को मालूम है कि राशन की दुकानों पर राशन के गेहूं की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है जबकि कार्डधारकों नवम्बर माह का गेहूं भी नहीं मिला है। नवम्बर माह के गेहूं के कोटे का मैंने दो दिन पहले दुकान पर जाकर पता लगाया था। जब वहां पहुंची तो दुकानदार ने आनन-फानन में कुछ गेहूं लोगों को बांटकर दुकान बंद कर दी और बाकी गेहूं को ब्लैक करके बेच दिया। वैसे स्टेटमेंट को देखकर पता चल रहा है कि आपको मालूम है कि ब्लैकमार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है और गेहूं में बहुत बड़ी धांधली चल रहा है। लेकिन आप कब तक इस तरह से स्टेटमेंट देकर हमें बहला देंगे। लगता है कि इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा घोटाला छिपा हुआ है और वह बाद में उजागर होगा जब हम संसद में चिल्ला-चिल्ला कर तंग आ जाएंगे। मंत्री जी से आज ही जानना चाहूंगी कि इस सिलसिले में कितने कालाबाजारियों को और भ्रष्टाचारियों को अब तक अरेस्ट किया गया है और क्या कार्रवाई की गई है—मेरा पहला प्रश्न है? मेरा दूसरा प्रश्न है—क्या इसमें सच्चाई है कि बाजार में गेहूं के केऐन कुक जैसे जो बड़े लोग घुसे और अच्छी पैकेजिंग किया हुआ आटा महंगा मिलने लगा। करीब दो साले जब सामान्य गेहूं का आटा छः रुपए किलो था उसी समय कैऐन कुक का आटा सुंदर थैलियों में और मीडिया के द्वारा प्रचालित और प्रसारित करके आठ रुपए किलो बिकने लगा और यहीं से ही आटे में भी एक क्लास स्ट्रगल शुरू हो गई। जो आम आदमी था उसके मन में भी यह साइक्लोजिकली बात उत्पन्न होने लगी कि क्या महंगे दामों पर यह जो पैकेजिंग का आटा बिक रहा है यह कुछ ज्यादा अच्छा है और उसके प्रति जब लोगों का आग्रह बढ़ा तो सामान्य लोगों ने भी ऐसी छोटी-छोटी इण्डस्ट्री शुरू करदी और आज बाजार में कितने उपहार भोग, सामान्य भोग, विवाह भोग और दहेज भोग सारे ब्रांड का आटा बिक रहा है और उनकी कीमत ज्यादा है। क्या सरकार इस पर कुछ नियंत्रण करेगी?

मेरा तीसरा प्रश्न है—आपके इतने बड़े वक्तव्य के बाद सुपर बाजार में आज तक आटा क्यों नहीं उपलब्ध हुआ है, क्योंकि वक्तव्य में आपने कहा कि 9 तारीख से कीमतों पर कुछ नियंत्रण कर लिया गया है? मैं चौथा प्रश्न यह करना चाहूंगी कि जो इतनी सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत सारी ट्रेजडी की बातें हम रोज राज्य सभा में करते हैं, शायद यह देश की सबसे बड़ी ट्रेजडी है कि आजादी के 50 वर्ष के बाद भी आम आदमी को आम भोजन, रोटी नहीं प्राप्त हो रही है और सी०एम०पी० में भी आप लोगों ने कहा है और हम लोगों ने उसका साथ दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको आधी कीमतों पर गेहूं दिया जाएगा। अभी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, कुछ दिन पहले जिनका आंकड़ा 16.9 था वह 39 प्रतिशत हो गया। क्या इतने लोगों को आधी दरों पर गेहूं सुलभ कराया जा सकेगा? मेरा अंतिम प्रश्न मंत्री महोदय से यह है —

अन्त में उन्होंने कहा है कि इच्छा-शक्ति के द्वारा सारे रास्ते साफ हो जाते हैं। लेकिन यह केवल इच्छा-शक्ति से काम नहीं चलेगा। मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वह कोई सख्त कार्रवाई करें और ठोस कदम उठाएं जिससे कि आने वाले दो-तीन दिनों के भीतर ही गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सके और आम आदमी जिसके घर पर दो वक्त की रोटी भी नहीं बन पा रही है, चूल्हा भी नहीं जल पा रह है उसे कम से कम खाना नसीब हो सके। धन्यवाद।

3.00 P.M.

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Last week and even earlier also we had raised in this august House the issue of rise in the price of essential commodities including wheat, rice and other food items. Our hon. friend, Shri Ramdas Agarwal also raised this issue in this House. I spoke to a shop-owner who was selling groceries, *atta* and other food items. He told me that the *atta* which was sold at Rs. 8 to 9 per kg. in the market in the beginning of the financial year has gone up to Rs. 14 to 15 per kg. According to him, the sudden rise in the price was due to hoarding and black-marketing Apart from these, there is one more factor which was responsible for the hike in the price of wheat which the hon. Minister himself has admitted. The Government has increased the price of wheat by 35 per cent. Some four or five months back the wheat was sold at Rs. 415 per quintal. This was the price in April, 1996. Our hon. friend, Shri Gurudas Das Gupta is not here. I wanted to inform him which Government has incrased the price. Some five months back the wheat was sold at Rs. 415 per quintal. Then, it was increased to Rs. 441, Rs. 455 and then to Rs. 490. Today, its price is Rs. 572 per quintal including freight charges. From April, 1996, they have raised it by Rs. 150 and odd.

SHRI RAGHAVJI (Madhya Pradesh): The Government increased it with your support.

SHRI V. NARAYANASAMY: When the Government increases the price a little, the hoarders and black-marketeers think that there is going to be a further increase in the price, they hoard the stock and create artificial scarcity. That is number one. Number two, they indulge in black-marketing. Number three, they would wait for a time when there is a sharp rise in the price of wheat and then they come to the market to sell it.

The hon. Minister has referred to the Food Corporation of India, cooperative societies and ration shops. What about the open market wherein thousands and thousands of quintals of wheat is sold in Punjab or Haryana or any other State. I would like to know from the Minister whether he has any mechanism for the purpose of regulating the market. There is a speculative business. He has no control over it. The State Government has no control over it. That being the case, how is he going to solve the problem? Simply by making a statement containing nine pages, he is not going to solve the problem. The present Government is to be blamed for the steep rise in the price of wheat and *atta* which is consumed by the common man. He has been burdened. They have increased the price of wheat from Rs. 415 to Rs. 572 per quintal which is more than 35 per cent. But the Minister says that there has been an increase only by 25 per cent. Can anybody imagine? When you increase the price of *atta* from Rs. 9 to Rs. 15, is it an increase by 25 per cent. When you increase the price of wheat by 40 per cent....

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः नारायणसामी जी बहुत पुराने सदस्य हैं और मैं उनकी कद्र करता हूं। मेरे स्टेटमेंट में जो लिखा है, शायद वे उसे ठीक से समझ नहीं पाए हैं।

श्री गया सिंह (बिहार): ट्रांसलेशन ठीक से नहीं हुआ है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः नहीं, ट्रांसलेशन की बात नहीं है। वे शायद समझ ही नहीं पाए हैं। ये जो 415 रुपए से 441, 455, 490 और 572 की चर्चा कर रहे

हैं, खुले बाज़ार में जो गेहूं की बिक्री होती है एफ०सी०आई० के ज़रिए, यह उसका दाम है। उस गेहूं का दाम सरकार समय-समय पर बढ़ाती है और हम सबसिडी का ज्यादा कंपोनेंट एफ०सी०आई० के खुले मार्केट में नहीं छोड़ना चाहते। गरीबों को सम्पूर्ण देश में एक ही दाम पर गेहूं दिया जाता है पी०डी०एस० में और वह है 402 रुपए प्रति क्विंटल। इसलिए इसका इस दाम से कोई संबंध नहीं है। यदि इस दाम को और बढ़ाने की जरूरत होगी तो हम बढ़ाएंगे क्योंकि हम सबसिडी ज्यादा खुले बाज़ार में छोड़ना नहीं चाहते और काला-बाज़ारी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सरकार के पास और ज्यादा पैसा आए। इसलिए गरीब का जो दाम है वह 402 रुपए है पी०डी०एस० का। यह जो आपने बताया यह एफ०सी०आई० का दाम है। वह समय-समय पर बढ़ाना पड़ता है, रेल भाड़ा आदि कई चीज़ों को जोड़ कर। इसका एक मैकेनिज्म है इसलिए यह मार्केट् का मूल्य नहीं है।

SHRI V. NARAYANASAMY: I will read the statement. Now, the sale price of wheat in the open market ranges from Rs. 490/- to Rs. 572/- depending upon the grade. The Government has increased it up to Rs. 490/- through the FCI. On that, the Minister agrees. According to the hon. Minister himself, it has gone up from Rs. 415/- to Rs. 490/-. Who increased it? It has been increased by the Government. They will increase it marginally. You made an increase of Rs. 60-Rs. 70 according to your statement itself.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं फिर से साफ कर देता हूं कि ये जो 490 रुपये की ओर 572 रुपये की आप चर्चा कर रहे हैं तो 490 रुपये हरियाणा और पंजाब के लिए है। दूर-दराज के इलाकों में, जैसे जब तह त्रिवेन्द्रम में चला जाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जुड़ जाएगा और वह 572 रुपये में वहां पर, उस राज्य में, एवेलेबल होगा। यहां सवाल 572 रुपये कर देने का नहीं है। 490 रुपये मूल्य तो हरियाणा और पंजाब में है। इसका अलग-अलग राज्य में, अलग-अलग मूल्य एफसीआई ने ओपन सेल का रखा हुआ है।

SHRI V. NARAYANASAMY: I understood your statement. I am submitting this with full responsibility. What made you increase the price of wheat per quintal from Rs. 415/- to Rs. 490/-? First answer that question. If that be the case, why will not the price increase? Not only in the case of wheat. Whether it is petrol or diesel or edible oil or rice, an increase of more than 60 per cent is there in this country. It is because of the wrong policies adopted by this Government.

AN HON. MEMBER: Why are you supporting that Government?

SHRI V. NARAYANASAMY: I have every reason to support that Government. The BJP need not teach us. We know how to support the Government. I can also criticise the Government when they are wrong. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Please, allow the Member to speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Minister says that he wants to stabilise the price situation. How can he do it when he himself has increased the price of wheat from Rs. 415/- to Rs. 490/-? Please answer that question. Let me not go into the freight charges and other things. That is point No. 1.

Point No. 2 is this. The hon. Minister says that there is a change in policy. It is done under the surveillance of a three-member committee. First of all, what happened under the revamped Public Distribution System? As my colleague has mentioned, in the southern States, wheat-consuming people are less. In the northern States, wheat consumption is more. Now, through the FCI, allocation of wheat is made to the States where they do not want it. And you do not supply the proper quantity of wheat to where they need it. (*Interruption*). I entirely agree with the hon. Minister that it is a State subject. The States have to do it. First of all, let the hon. Minister identify the percentage of people eligible to get it through the Public Distribution System. Why do you give ration to people who

are capable of purchasing in the open market? Let us help the poor and the needy people. Why do you help the rich men? Kindly consider that?

I entirely blame the present Government. Not only in respect of wheat. (*Interruption*). The Central Government will issue the guidelines and the State will do it. The hon. Minister has to take a bold decision. I blame this Government for the price increase. It is a burning problem. The common man is suffering. We wanted to raise the issue in this House. We had the opportunity. The hon. Minister who is there is the right person. Unfortunately, the Minister did not give it to the Press. The Agriculture Minister went to the Press and said that there was scarcity of wheat and 'atta' in the market and therefore, they were trying to pump the items into the open market. They are going in vans throughout the National Capital Territory of Delhi to supply wheat to the people. Who is to say this? I agree that there is a collective responsibility. But is it for the Agriculture Minister or the Minister for Food and Civil Supplies to say that? The Minister of Food and Civil Supplies has also made a statement. As far as Delhi is concerned, you are giving wheat at Rs. 6.45 paise per kg. to the ration shops, and at the same rate, you are giving it to the super bazar market. What about the people who are living in the slum areas where they could not get it. In Delhi more than 40 per cent of population lives in slums. Who cares for those people? This Government claims that they are for the poor, they are for the downtrodden, they are for the backward class and they are for the SC/ST. But after coming into power, they have forgotten everything. This is the state of affairs. I warn the hon. Minister that if you allow the situation to deteriorate like this, if you do not revamp the Public Distribution System, if you do not curb hoarding and black marketing, the prices are going to be more than 150 per cent, and this Government would be squarely responsible for this increase.

SHRI V. P. DURAISAMY (Tamil Nadu): Thank you, Sir, the hon. Minister has given a comprehensive statement with regard to the price rise in respect of wheat. Though Tamil Nadu is not a wheat-producing State, the consumption of wheat in Tamil Nadu has gradually increased. Wheat is also supplied through the Public Distribution System in the State and the price of wheat is maintained at an affordable level. In the open market, the price of *atta* has gone up. The mill owners from the State of Tamil Nadu has complained against the non supply of wheat by the Central Government. The gap between demand and supply is said to be rising not only in Tamil Nadu but also in India. Therefore, I request the hon. Minister to see to it that adequate supply of wheat to the open market in Tamil Nadu, and particularly to the mill-owners, would be maintained by the Centre.

Secondly, the Minister has stated that production of wheat has gone down by 31 lakh tonnes this year. I would like to know as to what the reasons are for this less production. Is it because of the fact that wheat producers are not getting the remunerative price? Is it because the area of wheat production has decreased? Or is it because the farmers are switching over to some other commercial crop to get a remunerative price? Lastly, in view of the growing demand of wheat. I would like to know whether the Government has undertaken any study to know whether wheat production is possible in southern India. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): Shri Ram Gopal Yadav. Not present. Shri O.P. Kohli. (*Interruptions*)

SHRI O.P. KOHLI: I am here, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): All right.

श्री ओ० पी० कोहली (दिल्ली): आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली को सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के लिए जो गेहूं दिया जाता है उसके लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में क्या पिछले कुछ महीनों में गेहूं पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा था? यदि गेहूं पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा था तो इसका कारण क्या है? क्या दिल्ली के खाद्य मंत्री ने दिनांक 21.11.96 को और दिल्ली के मुख्य मंत्री ने 27.11.96 को आपको पत्र लिखकर आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जितना गेहूं आवश्यक है उतना गेहूं भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में नहीं आ रहा है? इसका कारण रेलवे रैक उपलब्ध न होना है या इसका कोई अन्य कारण है?

आपने अपने बयान में यह कहा है कि दिल्ली को प्रति माह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 60 हजार टन गेहूं की आवश्यकता है और आपने पिछले चार महीनों के आंकड़े दिए हैं कि आवंटन इतना हुआ, उठान इतना हुआ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आवंटन और उठान में अंतर का क्या कारण है और भारत खाद्य निगम के गोदामों में पिछले महीनों में गेहूं कम क्यों आता रहा है?

दूसरा प्रश्न मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से प्रयोग करके जमाखोरी और काला-बाजारी रोकने की बात कही है। क्या इन दोनों अधिनियमों, आवश्यक वस्तु अधिनियम और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कड़ाई से इस्तेमाल करके जमाखोरी और काला-बाजारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है? यदि की गई है तो इसकी मात्रा कितनी है, इसका ब्यौरा देने की आप कृपा करें?

एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गेहूं के वितरण और स्टाक पर नियंत्रण शिथिल होने का निर्णय लिया गया था। इस नियंत्रण शिथिल होने के निर्णय का जमाखोरी और काला-बाजारी को बढ़ावा देने में क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है? क्या सरकार अब इस नियंत्रण को शिथिल किये जाने का निर्णय बदल रही है? इस संबंध में सरकार का सोच क्या है?

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत स्टेटमेंट दिया है और तमाम बातों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। प्रश्न यह है कि जो अलोकेशन किया गया, खासतौर से दिल्ली में, उस अलोकेशन के खिलाफ जो आफ टेक हुआ, उससे ऐसा लगता है कि गेहूं की कोई कमी नहीं थी। जब कमी नहीं है तो इसके बावजूद कीमतें बढ़ रही है। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं पूरे सिस्टम में करप्शन की वजह से गड़बड़ी है। श्रीमन्, अगर आप पिछला जो प्रोक्योरमेंट हुआ है, उसे देखें और उनसे जो आफ टेक हुआ है उसे देखें तो यह पायेंगे कि आपके गोदामों में बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं भरा रहता है और कई कई वर्षों तक वहां रहने के बाद आधा से ज्यादा पर वहां उसमें घुन लग जाता है और कई बार उसको जला देते हैं। मैंने देखा है कि खुले आकाश के नीचे हजारों टन गेहूं और धान त्रिपालों के नीचे पड़ा रहता है। वारिश होने के बाद उस अन्न की बड़ी दुर्दशा होती है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। सब जगह पी०डी०एस० सिस्टम की यह स्थिति है। हर जगह 30-40 प्रतिशत फर्जी राशन कार्ड हैं और 30 प्रतिशत लोग जो राशन कार्डधारी है वे राशन लेने नहीं जाते और पी०डी०एस० का 60-70 प्रतिशत गेहूं वगैरह जो है वह ओपन मार्केट में चला जाता है। इसको रोकने के लिए कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं जानता हूं कि इस पर केन्द्रीय सरकार का कोई निर्णय नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे सख्त कानून हैं, ऐसे स्ट्रिन्जेंट ला हिन्दुस्तान में हैं कि अगर कोई नागरिक आपूर्ति में बाधा होती है, सिविल सप्लाई में बाधा होती है ब्लैक मार्केटियर्स की वजह से, होर्डर्स की वजह से तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले दिनों कीमतों में वृद्धि के बाद कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है? यह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है यह पोलिटिकल लोगों पर तो लग सकता है लेकिन जिनके लिए यह बनाया गया है उन पर यह कभी भी नहीं लगाया गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं रासुका जो है यह होर्डर्स और ब्लैक मार्केटियर्स करने वाले कितने लोगों के खिलाफ लगाया गया है? अगर यह आप नहीं कर सकते हैं, सख्त कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो चाहे जितना गेहूं एलोकेट कीजिये, चाहे जितना गोदामों में प्रोक्योरमेंट कीजिये, इससे कोई कीमतों में आप गिरावट नहीं ला सकते। जब तक दोषी लोगों को बिहाइंड दॉ बार नहीं करेंगे, जब तक डिटारेंट पनिशमेंट नहीं देंगे, तब तक आप प्राइस राइज पर रोक नहीं लगा सकते हैं। जो लोग पी०डी०एस० से परिचित हैं, उन्होंने यह देखा होगा कि गरीब आदमी की क्या स्थिति हो जाती है। जो गरीब होता है, मजदूर होता है, वह आदमी चार-चार घंटे लाइन में खड़ा नहीं हो सकता है। इससे उसकी मजदूरी मारी जाती है। अपने बच्चों को भेजे तो वहां गैंग और माफिया है जिनके गुंडे फर्जी राशन कार्ड लाइन में लगा देते हैं और कोई बच्चा खड़ा हो तो

उसको धक्का मार कर भगा देंगे। उनको तो गेहूं मिल नहीं पाता है। स्थिति इतनी खराब है लेकिन कहीं कोई कार्यवाही नहीं होती है। राज्य सरकार नहीं होती है या तो राज्य सरकार को निर्देश दें, दिल्ली की सरकार पर तो केन्द्र का भी नियंत्रण है, दिल्ली की राज्य सरकार से भी कहियेगा। राजधानी जो हमारी बिल्कुल नाक के नीचे है, यहां जो लोगों को आटा महंगा मिल रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए तुरंत प्रभावी कार्यवाही कीजिये तथा होर्डर्ज़ और ब्लैक मार्किटियर्स को जेल में भिजवाने का काम कीजिये। धन्यवाद।

श्री राघवजी: उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ा लम्बा सात पृष्ठ का वक्तव्य जारी किया है। इसमें तथ्य कितने हैं और वास्तविकता कितनी है? लेकिन मेरी आपत्ति इस बात पर जरूर है कि उन्होंने यह कहा कि 25 प्रतिशत गेहूं की कीमतें बढ़ी है। यह बात सत्य नहीं है। 25 प्रतिशत कीमतें तो हर साल बढ़ती हैं। फसल के समय से ले कर अगली फसल आती है, उसके एक दो महीने पहले दामों में अगर 25 प्रतिशत का अंतर न हो तो ब्याज, गोदाम का भाड़ा कहां से निकलेगा? 25 प्रतिशत कीमत तो हमेशा बढ़ती है। इस बार 25 प्रतिशत से ज्यादा कीमतें बढ़ी हैं। आपने पता नहीं आंकड़े कहां से इकट्ठे किये हैं। यह आकड़े गलत हैं। जैसे हमेशा पिछली सरकार भी कहती आई हैं, इस बार भी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कह दिया। अब जनता का आक्रोश जगा है, उसको शान्त कैसे करना है, उसको मोड़ना कैसे हैं, गलतियां सरकार की हैं लेकिन अब मोड़ने का तरीका उन्होंने निकाल दिया। जमाखोर पकड़े जाएंगे, मुनाफाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, यह सारी बातें जो हमेशा पहले की जाती रही हैं, वहीं अब कही गई हैं। अब अगले दो महीनों में कुछ दिखावे के लिए किया भी जाएगा, निर्दोष और गैर-निर्दोष लोगों को पकड़ा जाएगा, बंद किया जाएगा, स्टाक जब्त किया जाएगा। यह नाटक होने वाला है। लेकिन इससे मूल समस्या का हल होने वाला नहीं है। मूल समस्या कहां है, अगर इस बात को ठीक प्रकार से नहीं समझा तो नाटकबाजी और इस प्रकार की ब्यानबाजी करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बफर स्टाक इसलिए रखा जाता है कि जब कभी जरूरत हो तो वह माल बाजार में निकाल दिया जाए ताकि मुनाफाखोर और जमाखोर जमाखोरी से लाभ न उठा सकें। हिन्दुस्तान में जो सब से बड़ा गेहूं का व्यापार है, वह है फूड कारपेरेशन आफ इण्डिया और उससे अगर छोटे व्यापारी हैं तो वह हर राज्य में सहकारी संस्थाएं हैं जिनके पास फसल के समय से खरीदा हुआ माल बड़ी मात्रा में रखा हुआ है। इन सब से बड़े व्यापारियों को जमाखोर कह लो, मुनाफाखोर कह लो, यह सब से बड़े व्यापारी हैं। इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि यह किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। आपने कई कारण गिनाये हैं लेकिन जो असली कारण हैं, उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस बात का कभी भी आंकलन नहीं किया गया कि गेहूं की फसल पिछली बार से कम हुई। अगर फसल कम पैदा हुई थी तो इस बात की कोशिश करनी चाहिये थी कि प्रोक्योरमेंट ज्यादा होता लेकिन प्रोक्योरमेंट भी 10 लाख टन कम किया गया। उस वक्त यह हालत थी कि बाजार में गेहूं आ रहा था और सरकार खरीदने में विफल हो रही थी। किसान चिल्ला रहा था, किसान का माल पड़ा रहता था और सरकार माल खरीदने को तैयार नहीं थी। अगर ठीक प्रकार से सरकार खरीदती तो 82 लाख टन की जो खरीद हुई है वह 100 लाख टन से ऊपर होती लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि पिछले साल वाला गेहूं सड़ रहा था, बफर स्टाक पहले ज्यादा कर लिया था और गेहूं सड़ रहा था, रखने की जगह ही नहीं थी। इसलिए सरकार ने जान बूझ कर माल कम खरीदा जिसका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। फसल कम थी इसके बावजूद भी आपको कोई चिंता नहीं थी। यह नम्बर एक कारण हैं और दूसरा कारण यह है कि जैसा एक सदस्य ने ठीक कहा कि राशन की दुकानों का 60 प्रतिशत माल बाजार में बेचा जाता है। यह बात बिलकुल सही है कि राशन की दुकान का माल कैप्टन कुक के यहां पर जाता है। केप्टन कुक जो विज्ञापन करता है वैसा गेहूं नहीं खरीदता है। वही राशन वाला गेहूं, सस्ता गेहूं खरीदता है और उसको मार्किट में आटे के रूप में बेचता है।

इस प्रकार के जो व्यापारी हैं वहां यह माल जाता है। अभी जो यह योजना मध्याह्न भोजन वाली शुरू की है। मैं जानता हूं कि मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन की क्या हालत है। मध्याह्न भोजन कहीं नहीं मिलता है बच्चों को। यह सारा माल काले बाजार में जा रहा है लेकिन मध्याह्न भोजन के नाम से जा रहा है। इस स्कीम को चालू करने की क्या जरूरत थी? फर्नान्डीज साहब ने बहुत सही कहा कि अगर उत्पादन कम हुआ है, प्रोक्योरमेंट कम है तो इसी साल आपने यह स्कीम क्यों चालू की। उसका नतीजा यह भुगतना पड़ रहा है कि काले बाजार में वह माल जा रहा है। एक दो बातें और हैं जिनकी ओर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अभी हमारे यादव साहब ने बताया कि माल सड़ा है, माल भीगा है, माल को स्टोर करने की जगह नहीं थी। माल में जो कमी आयी है इसका एकाउंट कहीं नहीं है। आज

जब फूड कारपोरेशन वाले माल बेचते हैं तो इस कमी को पूरा करने के लिए जिस बोरे में सौ किलो अनाज होना चाहिए उस बोरे में 90 किलो देते हैं और मजबूर करते हैं व्यापारी को वह खरीदने के लिए या सस्ते अनाज की दुकान वाले को खरीदने के लिए। इसके अलावा कितना और लीकेज में, पिलफरेज में गया होगा उसका हिसाब भी आपको बनाकर देना चाहिए। लेकिन वह नहीं दिया गया है। एक तो बड़ा कारण यह है। दूसरा यह भी कारण है कि आज बाजार में यह बात बहुत जोरों से चल रही है कि गेहूं विदेशों में स्मगल भी हो रहा है। आस पास के देशों में जहां पर गेहूं की कमी है वहां हिन्दुस्तान का गेहूं चोरी छिपे जा रहा है। इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। इन चोरों पर आपने कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं की है। इस बात को भी ठीक करना चाहिए। अब इसका रास्ता क्या होना चाहिए। आप माननीय मंत्री जी तब जागे हो जब सारा कुछ निकल गया है। अब तो जो आप कह रहे हो वह बीटिंग द बुश है, और कुछ नहीं है। सांप निकल गया और उसकी लकीर को पीट रहे हो क्योंकि फसल मार्च के महीने में आने वाली है। मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में खूब गेहूं आता है। और पंजाब में अप्रैल और मई के महीने में खूब आता है। केवल दो महीने का मामला है। दो महीने की बात निपटाने के लिए आपके पास काफी बफर स्टाक है। उस बफर स्टाक को आप बाजार में छोड़िए और बीस बीस किलो की थैलियां बना बना कर खुले चौराहों पर ढेर लगाकर जिनको जरूरत हो उनको खरीदने का मौका दे। अगर आप यह मौका दे देते हैं तो आपका बफर स्टाक इतना कम नहीं है कि उसकी पूर्ति नहीं कर सके। आप खुले बाजार में बीस बीस किलो की थैलियां लगाकर शहरों में कस्बों में, हाट बाजारों में बेचना शुरू कर दें। देखिए गेहूं के दाम कैसे कम नहीं होते हैं। मुनाफाखोर अपने आप मर जाएंगे इससे। लेकिन यह करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। पिछले साल तक 5 लाख टन खुले बाजार में माल आप भेजते थे क्या कारण है कि अब आपने 3 लाख टन कर दिया। आपने खुद ही माल घटा दिया जबकि आपको बढ़ाना चाहिए था। इसको बढ़ाकर 6-7-8 या 10 लाख टन तक पहुंचाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में माल मार्च, अप्रैल में फिर बहुत आएगा। इसकी फसल आने वाली है। आपको खरीदने का बहुत मौका रहेगा। तब खूब खरीद लें, खूब बफर स्टाक कर लें। लेकिन आज जो बफर स्टाक में पड़ा है आपका माल, उसको ठीक ठाक करके अच्छा बनाकर बाहर निकालें और उसको बेचें। अच्छा मतलब साफ-सूफ करके जितना कुछ बेच सकते है बेचें। उसको आप ठीक करेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा कि आपका स्टाक कितना कागजों में था और वास्तव में फिजिकल स्टाक कितना है। कभी इस फिजिकल स्टाक का आंकलन करने की आपने कोशिश नहीं की है। इसलिए फिजिकल स्टाक का आंकलन भी इससे हो जाएगा कि आपके पास वास्तव में उतना माल बचा भी है जितना वास्तव में बही खातों में, कागजों में और बुक्स में दिखा रहे हैं। इसलिए मेरे पास कुछ प्रश्न है। मैं उन प्रश्नों का जवाब जानना चाहता हूं—नम्बर एक, 31.3.96 को सरकार को पास कितना स्टाक था? फिर हर महीने सरकार ने कितना माल सस्ते अनाज की दुकानों के लिये दिया? कितना माल निर्यात किया? कितना माल खुले बाजार में भेजा और कितना माल मध्याह्न भोजन में रिलीज किया? इन चारों मदों में कितना कितना गेहूं सरकार ने छोड़ा। फिर आज 1.12.96 को सरकार के पास कितना स्टाक है? अभी आपका यह पूरा स्टेटमेंट 7 पेज का मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे यह कहीं जानने को नहीं मिला कि सरकार के पास आज इतना स्टाक है। अगर आज आपके पास 70-80 लाख टन का स्टाक है तो आपका काम तो दो तीन महीने के लिए जरूर निकल जाएगा और इतना जरूर होगा आपके पास। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि 1.12.96 को आपके पास कितना स्टाक है? माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि समस्या अब जो बची है वह केवल तीन महीने की बची है। खुले बाजार में आपके पास जो स्टाक है उस स्टाक को आम जनता को खरीदने के लिए दीजिए। यह नहीं कि कैप्टन कुक के पास बेच दें। वह माल अगर छोटे-छोटे लाट्स में बीस-बीस किलो की थैलियों में बाजारों में, हाटों में बेचना शुरू करेंगे तो आम जनता को वही गेहूं उपलब्ध होगा और गेहूं के दाम गिरेंगे इस बीच में आपका मार्च और अप्रैल का महीना आ जाएगा, नया गेहूं आपको मिलने लगेगा। फिर नए गेहूं की आप पर्याप्त खरीद कर लेना। मैंने जो कुछ प्रश्न पूछे हैं माननीय मंत्री जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि वह उन प्रश्नों का अवश्य उत्तर दें। धन्यवाद।

श्री रामजीलाल (हरियाणा): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दी है, उस पर कुछ बातों की मैं चर्चा करूंगा। मंत्री जी ने आंकड़े भी पेश किए हैं। जब फूडग्रेन का भाव तेज होता है तो सारे सदन में हंगामा मच जाता है। माननीय सदस्यों ने सभी बातें कही हैं लेकिन मैं किसान की बात कहूंगा और किसान भी हमारे सदन में बहुत हैं। मैं इस बात की चर्चा करना चाहूंगा कि गंदम सब अनाजों में

सब से बढ़िया है और आज मार्केट में सब से नीचा उसका भाव है। मंत्री जी ने कहा कि 415 से बढ़ाकर 441 कर दिया। यह मंत्री जी आपने उस वक्त किया जब किसान का सारा गेहूं बिक चुका था। यह भाव व्यापारी लोगों के लिए है न कि किसानों के लिए। किसान का तो अप्रैल में ही गंदम बिक जाता है। इसलिए यह रेट बढ़ाने का किसान को कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गंदम के मुकाबले में ग्वार, चना, ज्वार, बाजरा, मकई सब के भाव ऊंचे हैं। कोई आठ सौ है, कोई हजार है, कोई बारह सौ है, कोई पन्द्रह सौ है। मैं हमेशा ही एक बात की चर्चा करता हूं कि हरियाणा और पंजाब सब से ज्यादा अनाज देते हैं लेकिन जब हरियाणा और पंजाब को देने की बात आती है तो इनको इग्नोअर किया जाता है। हालांकि यह मेरा सब्जैक्ट नहीं लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा।

दूसरी बात मैं सपोर्ट प्राइस की कहना चाहता हूं। जब किसान अपना गंदम लेकर बाजार में जाता है तो उसको सपोर्ट प्राइस मिलनी मुश्किल हो जाती है। 415 और 441 जो आपने भाव बताए हैं उस मुकाबले में जो मैंने अनाजों के नाम लिए हैं उनमें सब से ज्यादा खर्चा गंदम तैयार करने में होता है। ग्वार में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, ज्वार में कोई खर्चा नहीं है, चने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं, सरसों में उससे कम खर्चा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह सपोर्ट प्राइस कम क्यों है? यदि आप अन्य अनाजों के मुकाबले में हिसाब लगाएं और देश को अगर गंदम चाहिए तो आपको इसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्शन के बारे में आपने सबने आंकड़े दे दिए, सब ने अपनी-अपनी बातें कहीं, ब्लैक मार्केट की कहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं, जैसे चीनी का दो साल पहले हुआ था। अगर प्रोडक्शन आपकी नहीं हुई और और आपने साधन नहीं जुटाए तो इन आंकड़ों से काम नहीं चलेगा। दूसरे, मंत्री महोदय आपने आंकड़े दे दिए कि 1.9.96 से आपने 490 किया है इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप किसान की सहायता करना चाहते हैं, और जब खाद पर सबसिडी की बात आती है तो सारा सदन सपोर्ट करता है। लेकिन जब भी कोई सरकार में बैठा होता है तो कंजूसी करने लग जाता है। कहता है नहीं, इतने रुपये कहां से आयेंगे। सरकार के पास बजट नहीं है। क्या होगा पहले आप ही कहते थे जो आज आप सरकार में बैठे है। पहले ये कहते थे और आज हम कहते हैं कि यदि आप किसान को खाद पर सबसिडी ज्यादा से ज्यादा नहीं देंगे, दूसरा यदि आप उनको सस्ता बीज नहीं देंगे तो किसान को अपनी गंदम 400-450 रुपये में बेचना पड़ेगा। वह बीज लाता है एक हजार रुपये, 1250 रुपये, दो-दो हजार रुपये में, यह बीज उसे बहुत महंगा मिलता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि किसान के लिए खाद सस्ती की जाए, उसे बीज सस्ता दिलाया जाए, बिजली सस्ती कराई जाए यदि आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा हो। क्योंकि किसान ने जब इस साल या पिछले साल यह देखा कि भाव बहुत कम है तो किसान दूसरी तरफ मुड़ गए हैं। वह ग्वार बीज रहा है, ज्वार बीज रहा है, काटन बीज रहा है, सरसो बीज रहा है। इसलिए जब तक आप भाव इसके अच्छे नहीं करेंगे तब तक गंदम का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। मेरा आपसे सुझाव है और प्रार्थना है कि यदि आप इसकी प्रोडक्शन बढ़ायेंगे तो काम चलेगा वरना चलने वाला नहीं है। महोदय, हर बार एक्सपोर्ट होता है, किसान का माल एक्सपोर्ट हो गया तो बड़ी भारी बेचैनी हो गई, भाव बढ़ गए। मैं इस बात के लिए सहमत नहीं हूं। देश में इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, किसान को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जाएं और देश में यदि खपत है तो बाहर भेजने की जरूरत ही नहीं है। महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए दो-तीन मिनट का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं अपनी भावना को सदन के सामने रखना चाहता था किसान की बात को, किसान की तकलीफ को, क्योंकि मैंने खेत में काम किया है। मुझे पता है, जब हम गांवों में जाते हैं तो देखते हैं कि किसान किस तरह से अपनी पैदावार बढ़ाता है, किस कठिनाई से वह काम करता है, तब वह जिंदा रहता है। लेकिन किसान फिर भी भूखा है। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां बैठे हैं। उन से भी मैंने बात की है। तो मेरा निवेदन है कि किसान को ज्यादा सहूलियत दीजिए और खास तौर से व्हीट के लिए। अगर यह फेसिलिटी नहीं दी गयी तो किसान दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है क्योंकि वह ग्वार बोएगा, सरसों बोएगा और काटन बोएगा। जिस में कीमत अच्छी मिलेगी, वही फसल बोएगा। यदि आप सहूलियतें देंगे तो किसान व्हीट बोएगा और देश में व्हीट की कमी नहीं होगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आप का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री शिवचरण सिंह (राजस्थान): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां अपने भाषण के समय मेरे पत्र का उल्लेख किया। जून के महीने में मैंने जो पत्र लिखा था, अगर

मंत्री जी उस समय मेरे पत्र पर ध्यान से गौर करते तो आज उन को इस प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता।

महोदय, मैं कोटा के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहा था। कुछ यात्री आपस में बात कर रहे थे। मैंने कोटा में अपनी ट्रेन छोड़ी और फूड कार्पोरेशन के दफ्तर पर गया। वहां के सीनियर रीजनल मैनेजर, फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के माध्यम से सौ रुपए रिश्वत लेकर गेहूं रिलीज किया जा रहा था। गेहूं की स्पेशल ट्रेन कोटा, गंगानगर और जयपुर से कांडला और मद्रास पोर्ट के लिए भरी जा रही थी। मैं यहां आया और मैं मंत्री जी के पास गया। उन की नाम-पट्टिका पर यादव लिखा देखकर मैंने सोचा कि किसान का बेटा है, मुझे दया आ गयी। महोदय, मैं जांत-पांत में नहीं, क्लास में आ गया और मैंने सोचा कि इन सूचना दे दूं। मैं ने इन्हें सूचना दी। उन्होंने कहा कि पत्र लिखो, मैंने पत्र भी लिखा। लेकिन आज हिन्दुस्तान का बेड़ा गर्क होगा तो इसी ब्यूरोक्रेसी से होगा। वैसे सारे पावर्स वेस्टेड है मिनिस्टर के अंदर। यह फूड मिनिस्टर हैं और फूड एंड सिविल सप्लाईज की सारी जिम्मेदारी इन के ऊपर है और इन्होंने डेलिगेट किए हैं सेक्रेटरी और डायरेक्टर फूड कार्पोरेशन को पर इनहेरेंट पावर्स इन में वेस्ट करते हैं। महोदय, इन के मातहत लोगों ने मेरे पत्र का उत्तर देने के लिए इन्हें बाध्य नहीं किया, प्रपोज नहीं किया, याद नहीं दिलाया, लेकिन इन्होंने अपने भाषण में उस पत्र का उल्लेख किया।

मान्यवर आप जानते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है। यहां गेहूं, खरीफ और रबी की फसल में अंतर होता है। मान्यवर, जून-जुलाई के महीने में जब यह सरकार बनी, उस टाइम इन को मालूम था कि गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, प्रोक्यूरमेंट भी कम हुआ है। नंबर दो इन को यह भी मालूम था कि हमारा स्टॉक कम है, इसलिए इन्हें एहतियात बरतना चाहिए था क्योंकि फूड मिनिस्टर होने के नाते देश को खाने के लिए देने की इन की जिम्मेदारी है। फिर फूड कॉर्पोरेशन का गठन इस सिद्धांत के आधार पर हुआ था कि यह देश प्राकृतिक आपदाओं का देश है कभी यहां बाढ़ आती है और कभी अकाल पड़ते हैं। इसलिए अकाल और बाढ़ के समय जब देश में खाद्यान्न की कमी होगी, तो फूड कॉर्पोरेशन के माध्यम से हम बाजार को खाद्यान्न देंगे। अब यह तो कुदरत की बात है, न यह हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर की देन है और न ही फूड मिनिस्टर की, कि पिछले 15 साल से हमारे यहां अकाल कुछ कम पड़ रहे हैं। अभी आंध्रप्रदेश में थोड़ासा झटका आया है जिस से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और प्रधान मंत्री दोनों घबड़ा रहे हैं। महोदय, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं जहां कि आल्टरनेट इयर में अकाल पड़ा करता था। अभी वहां 15 साल से अकाल नहीं है और ऐसी नेचुरल कैलेमिटी नहीं आई है। हमारे फूड कार्पोरेशन में अनाज भी भरपूर भरा पड़ा है। हम हर साल रिबेट कीमत ले रहे है और हर साल कीमत बढ़ती चली जा रही हैं। माननीय सदस्य रामजीलाल जी ने सपोर्टिंग प्राइस के बारे में जो बात कही, वह सही है। हम किसान से उस टाइम क्रॉप खरीदते हैं जबकि बम्बर स्टॉक बाजार में आता है और उस टाइम 25 परसेंट कीमत कम होती है। महोदय, नवम्बर-दिसम्बर का वक्त बुआई का होता है और बुआई के टाइम पर 25 परसेंट कीमत तो प्रत्येक चीज़ की बढ़ती है। खरीफ को लें या रबी को लें, तो गेहूं की कीमत बुआई के टाइम पर 25-30 परसेंट बढ़ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, रेलवे भी भारत सरकार की ही है, आप मालूम कर सकते हैं फूड कॉर्पोरेशन के बड़े अफसरों से कि जून-जुलाई व अगस्त के महीनों में किन-किन बड़े रेलवे स्टेशनों से रेल में लदान हुआ और किन-किन पोर्ट्स को यह अनाज गया। मंत्री जी आप ने कहा कि हम ने 4 लाख कुछ टन रिलीज किया, लेकिन आप को मालूम नहीं होगा कि हमारी भारत सरकार का अमेरिका को गौरव व्हीट एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट था। यह गौरव व्हीट एक क्वालिटी है व्हीट की जिसका 5 लाख टन का एग्रीमेंट था। पर 25 लाख टन हमारे यहां उत्पादन कम हुआ, प्रोक्यूरमेंट कम हुआ। तो पिछली गवर्नमेंट के लोग जोकि आप के ही साझे वाले लोग हैं, यह भी दोष के भागी हैं।

यह भी दोष के भागी हैं। यह 25 लाख टन के निर्यात का एग्रीमेंट आपने क्यों किया? हिन्दुस्तान के लोगों को भूखा मारने के लिए। जब हमारे पास स्टॉक नहीं था, प्रोक्योरमेंट नहीं था, तो यह एग्रीमेंट करने की जरूरत क्या थी? यह 25 लाख टन का एग्रीमेंट करने के बाद आप कहते हैं कि 4 लाख 31 हजार टन हमने फूड कारपोरेशन से रिलीज किया। आप अपने वक्तव्य को पढ़िए। आपने कहा है— "मै स्पष्ट करना चाहूंगा कि चालू वित्तीय वर्ष 96-97 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4 लाख 31 हजार टन गेहूं निर्यात हेतु बेचा गया।" आपने यह क्यों दिया? फिर आपने कहा — "परन्तु जून, 96 के बाद निगम द्वारा निर्यात हेतु कोई बिक्री नहीं की गई है।" निर्यात हेतु तो आपने नहीं की, लेकिन ओपेन बाजार में मात्रा बढ़ा दी। जो आपने गेहूं की मात्रा बढ़ाई

वह डीलर्स ले गए और उन्होंने डायरेक्ट वहीं से बेच कर ट्रांसफर कर दी एक्सपोर्टस के लिए। आपने फ्लोर मिल को गेहूं रिलीज करने की तादाद बढ़ा दी। फ्लोर मिल ने किस भाव आटा बेचा? आप गेहूं की आटे की और इससे बनी चीजों की बात करते हैं। यह फ्लोर मिल्स आपसे गेहूं लेती है फिक्स प्राइस पर, बल्कि और रिबेट प्राइस पर और फ्लोर मिल्स की जो प्रोडक्ट है चाहे वह मैदा हो या सूजी या आटा, उसकी कोई प्राइस फिक्स नहीं की, जबकि आप फिक्स प्राइस पर गेहूं देते हैं। फ्लोर मिल्स वालो ने चार महीनों में करोड़ों रुपया लूटा, अरबों रुपया लूटा। आज फ्लोर मिल्स का आटा आपका सुपर बाजार में भी 65/-रुपए की दस किलों की थैली मिलती है। आप दिल्ली की बात कहें, किस भाव से गेहूं दे रहे फ्लोर मिल्स को? आप 490/-रुपए के रेट से दे रहे हैं और वह आटा 650/- रुपए से बेच रहे हैं। एक किलो की पिसाई कितनी हो गई? आप अंदाज कीजिए। आप फर्क निकालिए, 200/-रुपए आटा पीसने का हुआ। पिसाई की कीमत 200/-रुपए क्विंटल फ्लोर मिल्स वाले ले रहे हैं। आप क्या इसको रोक नहीं सकते? आज मैदा, सूजी की कीमत क्या है? जो फ्लोर मिल्स से आती है, सूजी 15/- रुपया किलो और मैदा 12/- रुपया किलो मिलता है और आपका यह बचा हुआ आटा है, जो कि रेसिड्यू प्रोडक्ट है। फ्लोर मिल्स पर आपने क्यों नहीं अंकुश लगाया? हिन्दुस्तान के सारे फ्लोर मिल्स वालों ने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया एक साल के अंदर कमाया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आपके जहां जहां फूड कारपोरेशन गोदाम हैं, आपने भी यह माना है कि 6 लाख टन गेहूं आपने रिलीज किया है। आपने यहां माना है—"निर्यात के लिए बिक्री का समझौता पूरा न करने पर भारतीय खाद्य निगम को हर्जाना देना पड़ सकता था। हमने केन्द्रीय पूल से वर्ष 96-97 के लिए निर्यात हेतु कोई नया समझौता नहीं किया है। इतना ही नहीं पिछले वित्तीय वर्ष 95-96 तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में गेहूं उत्पादन के निर्यात पर कोई रोक नहीं थी गेहूं कि किल्लत को देखते हुए सरकार ने गेहूं के उत्पादन का निर्यात "प्रतिबंधित सूची" (रेस्टिक्टिड लिस्ट) में कर दिया है।" ठीक है, 96-97 के लिए निर्यात का एग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन जब पहले आपके पास प्रोक्योरमेंट ही कम था, आपके पास गेहूं का उत्पाद कम था तब आपने यह एग्रीमेंट क्यों किया? आप कृपा करके सारी इस बात की जांच कराइए कि जून-जुलाई से, आपकी सरकार बनने के बाद से आपके कौन-कौन से ऐसे फूड कारपोरेशन के गोदाम हैं, जहां से गेहूं रिलीज किया गया? यह गेहूं रिलीज होने के बाद उन्हीं तारीखों में रेलवे में कितना लदान हुआ? यह तो डाक्यूमेंटरी चीज है, आप पता कर सकते हैं। आप जब तलाशी लेकर जयललिता के मकानों से करोड़ों, अरबों रुपया निकाल सकते हैं तो रेलवे के लदान और फूड कारपोरेशन के गोदाम से जानकारी नहीं निकाल सकते? देवेगौड़ा जी इस मामले में तो बड़े होशियार है सब नेताओं की बाल की खाल निकालने में। ...(**व्यवधान**)...

श्री आर॰के॰ कुमार (तमिलनाडु): वह सारा गलत दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री शिव चरण सिंह: खैर, जो भी है। यह तो आपका और इनका मामला है। वह भी गलत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन चीजों का तो आपने निकाल दिया, लेकिन जो करोड़ों लोगों को भुखमरी के रास्ते पर ले जाने वाले लोग हैं उनको आप नहीं पकड़ सकते? रेलवे आपका है, फूड कारपोरेशन आपका है। तो मेरा निवेदन है कि माननीय उनके खिलाफ कार्यवाही करें। दूसरे फ्लोर मिल पर अंकुश लगाएं। तीसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि जो अभी आने वाली फसल है, आप किसान से गल्ला तो खरीद लेते हैं, उसके बाद डेपरिसिएशन के मुंडे से, छीजन के मुंडे से, ट्रांसपोर्ट के मुंडे से, लेबर चार्जेज के मुंडे से कीमत बढ़ा देते हैं, आपको आने वाली फसल के लिए प्राइस कमीशन को रिकमण्ड करना चाहिए। अभी गेहूं की बुआई है। आपकी मार्केट के अंदर आज गेहूं का औसत भाव 800/- रुपए से लेकर 1200/-रुपए तक के बीच में है। आपको इसको दिमाग में रखते हुए किसान की प्रोडक्ट की जो कीमत है उसको तत्काल रिवाइज कर देना चाहिए ताकि उत्पादन करने वालों को उचित मूल्य मिले, लाभ मिले। क्या दलाल इस उत्पाद का रेट तय करेगा? हिन्दुस्तान में तीन ही तरह के दलाल मौज में हैं—चाहे भगवान के दलाल हों, चाहे अन्न के दलाल हों, चाहे फिर भ्रष्ट नेता के दलाल हो। कृपा करके जो सरकार दलाली का काम कर रही है, इस पर आप अंकुश लगाएं और किसान को उसके उत्पाद का मूल्य दिलाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मैंने आपसे निवेदन किया है व्हीट के रिलीज होने का, फूड कारपोरेशन के गोदामों से रिलीज होकर रेलवे स्टेशनों तक जाने का, उसकी जांच होनी चाहिए और मेरे पूर्व वक्ता ने जो यह चार्ज लगाया कि दक्षिण में भी गेहूं

गया, वह इसलिए गया कि पोर्ट नहीं है, मद्रास के पोर्ट से लदा हुआ कांडला पोर्ट से लदा हुआ, मैंगलोर पोर्ट से लदा हुआ आगे गया, इस सब की कृपया जांच कराएं और जांच कराने के पश्चात् मेरे प्रश्नों के उत्तर और आपके उत्तर पत्र से द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।

PROF. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Sir, the hon. Minister has given a very lengthy statement. I wish it were contained in two or, at the most, three pages. I think he has intended to create a confusion worst confounded so that the problem is not deciphered by anyone.

The Centre has been asked by the Delhi State Government to ensure adequate quantity of supplies of wheat at its godowns for distribution at Fair Price Shops in the capital. I would like to ask the hon. Minister whether it is a fact that there was no stock of wheat and rice at the FCI godowns at Okhla, CTO Pusa and Rana Pratap Bagh and also whether it is a fact that 55,000 quintals of wheat and 10,000 quintals of rice are yet to be supplied to Fair Price Shops from the godowns. There is another question. Is it a fact that the price of wheat in the open market had increased due to non-availability of grains to the public distribution system. I charge the Government of inaction in the face of soaring foodgrain prices and hoarding.

Surprisingly, Sir, the Government is calling a meeting of the State Food Ministers as an astute move to pass the buck for its failure to hold the priceline for essential foodgrains to the State Governments, specially in the opposition-ruled States.

Sir, the Government sleeps as wheat prices rise. This is what is happening. The decontrol of wheat by the Centre has also resulted in a sharp increase in the prices of flour and non-availability of wheat in the market. Atta price is a touch-stone of the people's confidence in the present Government and its capacity to rule, also its commitment to common good and moral authority. Sir, you are aware that the price rise of onion brought the Janata Party Government in the late '70s to its knees and the signals are not propitious for the United Front regime in Delhi due to rise in the atta prices.

SHRI R.K. KUMAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, being a rice-eater from Tamil Nadu, I don't know much about wheat and the rise in the prices of wheat. But I want to make one or two points briefly.

Sir, the dream of the American President, Mr. Roosevelt, of a great American society was 'two chickens in every pot and two cars in every garrage'. Being a poor nation, we can't have such a big dream. But the minimum is *roti, kapada aur makan*. Leaving aside the *kapada* and *makan* part of it, *roti* is very important and in major parts of this country wheat is the essential thing for making a *roti*.

From the statement I observe that both production and procurement of wheat have been going down. The Minister has also claimed that allotment for social welfare scheme is on the increase. But the point is that the price of any product depends on its demand and supply. While buffer stock is available in sufficient quanity with the Government, admittedly, last year in certain lean months the release was up to 10.5 lakh tonnes whereas this year it has been only three to four lakh tonnes. Only last week, the hon. Minister had ordered to release six lakh tonnes. I don't know why further stocks could not be released from the buffer-stock in order to reduce the prices of wheat. As was told by my hon. friend, the Government supplies wheat to flour mills at a fixed price. These flour mills after adding their conversion cost should not be allowed to charge too much from consumers. These flour mills should also be made to sell wheat products at a fixed price. Sir, it is very much appreciated that export of wheat has been stopped and supply of wheat to flour mills is being watched, but still the price of wheat in the open market is on the increase. One of the reasons

attributed to this price-rise is this! "...There are irregularities in the stock supplied to States under PDS at subsidised rates and such commodities are not made available to ration card holders." The hon. Minister's statement says, "After formation of U.F. Government I had written to all C.Ms..." Sir, I would like to submit that the Essential Commodities Act is a very powerful instrument for enforcing price discipline and taking action against hoarding. If it is implemented properly, if the Centrtal Government insists that all the State Governments should enforce he Essential Commotities Act properly, then there will be reduction in hoarding and blackmarketing. Sir, therefore, urge upon the Government to take these two steps. Firstly, increase the release from the buffer-stock, and secondly, the Essential Commodities Act should be enforced strictly. I think these steps would stop further rise in prices of wheat. Thank You, Sir.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ दिनों से केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं और आटे की कीमत बढ़ गई है और 9 रुपए से लेकर 11 रुपए किलो तक में भी मिलना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही साथ दाल की कीमत भी काफी बढ़ गई है। अरहर की दाल 40 रुपए किलो है, मसूर की दाल सुपर बाजार में 30 रुपए प्रति किलो है, मूंग की दाल सुपर बाजार में साढ़े बाईस रुपए प्रति किलो है। इस तरह से आम लोग जो दाल-रोटी खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको यह दाल-रोटी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि खाद्य पदार्थों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार विशेष कदम उठाए।

महोदय, सरकार यह कहती रही है कि हमारे पास गेहूं और चावल का बफर स्टॉक है। अगर है तो वह बाजार में उपलब्ध क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि कहीं पर कोई गड़बड़ी है और इस गड़बड़ी को दूर करना केन्द्रीय सरकार का काम है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह यह देखे कि कहां पर यह गड़बड़ी है और उसको दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर कदम उठाने चाहिएं ताकि खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता को रोका जा सके और आम जनता को खाद्य पदार्थ कम कीमत पर मुहैया हो सके

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कहा था कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम कम कीमत पर इन चीजों को मुहैया कराएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री उपलब्ध कराने की आपकी क्या योजना है? यह आप इस सदन को भी बताएं और सारे देश को भी बताएं। इन खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है, जिससे इस देश की जनता को फायदा होगा, यही मैं जानना चाहता हूं।

†[وزیر جلال الدین انصاری "بہار": آپ سبھا ادھیکش مہودے۔ پچھلے کچھ دنوں سے کیول دلّی میں ہی نہیں۔ بلکہ دیش کے دوسرے حصّوں میں گیہوں اور آٹے کی قیمت بڑھ گئی ہے اور نو روپے سے لیکر گیارہ روپے میں بھی ملنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دال کی قیمت بھی کافی بڑھ گئی ہے۔ ارہر کی دال چالیس روپیہ کلو ہے۔ مسور کی دال سپر بازار میں تیس روپئے فی کلو ہے۔ مونگ دال سپر بازار میں ساڑھے ۲۲ روپئے فی کلو ہے۔ تو اس طرح سے عام لوگ دال روٹی کھا کر اپنا جیون ویتیت کرتے ہیں انکو یہ دال روٹی اپلبدھ نہیں ہو پا رہی ہے۔ میں سرکار سے انورودھ کرنا چاہتا ہوں کہ]

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

सरकार को भी बतायेंगे और सारे देश को भी बतायेंगे। इन किसान पैदावार करने वालों को उपलब्ध कराने के लिये सरकार कदम उठाने जा रही है। जिससे इस देश की जनता को फायदा होगा। यही मैं जानना चाहता हूं।]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कई सवाल किए और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी इसमें आए हैं। खास करके दो-तीन भागों में है। अभी लगभग सब मिलाकर 16 माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है जिन्होंने मेरे स्टेटमेंट के बाद अपने सवाल रखे हैं। सबसे पहले गुरुदास दासगुप्ता जी ने प्राईस के विषय में कहा। बारी-बारी से एक साथ कई सवाल उठे हैं जिसमें मैं समझता हूं कि सवालों के दो-तीन भाग हैं। एक तो यह है कि पी०डी०एस० की दुकानों पर राशन के अभाव का मामला। दूसरा, काला-बाजारी और जमाखोरी बढ़ने का मामला, तीसरा-इसी के साथ-साथ उत्पादन का भी उठाया है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं—उत्पादन से संबंधित मंत्री भी इस सदन में ही उपलब्ध हैं। चौथा, आपने उठाया है जन वितरण प्रणाली को सुप्रभावी बनाना और उसके संदर्भ में आधे दाम पर जो योजना थी उसके संदर्भ में और सबसे ज्यादा फोकस किया गया है और बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रण करने की दिशा में, उसको काबू करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है और एफ०सी०आई० का जो कंडक्ट रहा है और एफ०सी०आई० के जो कार्य रहे हैं उससे कई माननीय सदस्यों ने असंतोष व्यक्त किया है और जो एशिएंसिल कॉमोडिटीज का एक्ट है उसे एंफोर्स करने पर भी आप लोगों ने बल दिया है।

सबसे पहले जो कीमतों की स्थिति थी, जैसे होलसेल प्राईस इंडेक्स ऑप व्हीट, इसके सदर्भ में हमारे दासगुप्त जी ने सवाल उठाया कि यह जो 25 प्रतिशत की फिगर है, वह उचित नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अक्तूबर, 95 में 268.5 था, अक्तूबर, 96 में 332 हुआ। तो यह राईज हो गया 25 प्रतिशत। लेकिन

पैदावारकों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिये सरकार दो-तीन कदम उठाये।

मेरे दोस्त, पहली सरकार यह कहती रही है कि हमारे पास स्टॉक्स हैं और बाजारों का दो-तिहाई स्टॉक है। अगर है तो वह बाजार में उपलब्ध क्यों नहीं है। इसका मतलब यह है कि बीच में कहीं गड़बड़ी है। और इस गड़बड़ी को दूर करना सेन्ट्रल सरकार का काम है। सेन्ट्रल सरकार को चाहिये कि वह देखे कि कहां पर यह गड़बड़ी है और इसको दूर करने के लिये सेन्ट्रल सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कदम उठाने चाहिये ताकि किसान पैदावार करने वालों से ही उपलब्धता को रोका जा सके। और आम जनता को किसान पैदावार कम कीमत पर मुहैया हो सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कहा था कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं। उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम कीमत पर इन चीजों को मुहैया कराएंगे। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किसान सामग्री और दूसरी सामग्री उपलब्ध कराने में आपकी क्या योजना है। यह आप इस

व्हीट का होलसेल इंडेक्स प्राईस है वह 2-11-95 को 272.1 था और 2-11-96 तक की जो रिपोर्ट वह 341.9 है। यह जो 25.7 के आसपास होता है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: रिटेल प्राईस बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: रिटेल प्राईस पर हम आगे आएंगे। जहां तक कई और सवाल दासगुप्त जी ने उठाए हैं, भण्डारण की वृद्धि के संबंध में और कुछ ऐसे सवालात उठाए थे एफ०सी०आई० के कार्यकारी के संबंध में, उनके जो कार्य हैं, उनका जो कंडक्ट है उसके संदर्भ में इंडिविज्युएल को 200 टन खरीदने का, ऐसा नहीं है। जो छोटे चक्की वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, इस देश में जिनको मैं समझता हूं कि पहले जो वितरण व्यवस्था थी एफ०सी०आई० के जरिए उसमें उनको नहीं मिल पाता था और बड़े फ्लोर मिल रोलर वाले हैं वही खुली बिक्री के लिए गेहूं उठाते थे। यहां तक कि पिछले साल इसी माह नवम्बर और दिसम्बर में 11 लाख, 12 लाख टन प्रति माह एफ०सी०आई० के जरिए सेल होता था। लेकिन इस साल चूंकि पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं अपने वक्तव्य में कि जो उत्पादन की स्थिति थी जो प्रोक्योरमैंट कम हुआ और गेहूं का उत्पादन 31 लाख टन हुआ और 41 लाख टन गेहूं का प्रोक्योरमेंट कम हुआ, तो इस साल अभी पिछले दिनों 4 लाख टन प्रति माह एलोट होता था, लेकिन कभी तीन, कभी साढ़े तीन लाख टन उसमें से ओपन सेल हो पाता था और ओपन सेल में यह स्ट्रिक्ट किया जब मैंने कार्यभार संभाला कि इसको स्ट्रीम लाईन करना है और आपरेशन सिस्टम को स्ट्रीम लाईन करने के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई गई, जिसमें एफ०सी०आई० के लोग, उनके एकाउंट्स आफिसर और एक डायरेक्टर आफ फूड आफ स्टेट, जिस स्टेट में खुली बिक्री होती उस स्टेट का जो डायरेक्टर आफ फूड है वह उसके सदस्य हैं।

4.00 P.M.

यह जो तीन सदस्यीय समिति बनी है, इस समिति के जरिए ही एक तारीख से सात तारीख तक उनके आवेदनों पर विचार किया जाता है। जो आवेदन उपलब्ध हो जाते हैं चाहे वे रोलर फ्लोर मिल के हों, चाहे छोटे चक्की वालों के हों, चाहे ट्रेडर्स के हो, उन लोगों के आवेदनों की, जिनका रजिस्ट्रेशन हैं, उसमें जांच की जाती है और सात तारीख के बाद चौदह तारीख तक उनको मुहैया करा दिया जाता है। इस तरह से इसे स्ट्रीमलाइन किया गया—दो सौ टन मैक्सिमम बड़ी फ्लोर मिल्स के लिए। इनडिविजुअल के लिए दो सौ टन नहीं था। इनडिविजुअल तो उतना ले ही नहीं पाता था, उसे मिलने का तो इसमें प्रावधान ही नहीं है। जो छोटे चक्की वाले हैं या जिनके पास छोटा लाइसेंस है रेलवे का, जो रेलवे के लिए पूरी बनाते हैं, उन लोगों को पिछले दिनों तक गेहूं नहीं मिलता था। अब उनके लिए प्रावधान किया गया है और वे भी गेहूं ले सकते हैं। तो इस तरह से वितरण व्यवस्था को हमने स्ट्रीमलाइन किया। एफ०सी०आई० को निर्देश जारी किया गया मिनिस्ट्री के जरिए कि आप इस सिस्टम से काम चलाइए लेकिन 1993 से पहले ओपन सेल नहीं था। ओपन सेल की प्रथा पहले नहीं थी। 1993 के बाद ही यह ओपन सेल सिस्टम शुरु हुआ।

अभी दक्षिण और उत्तर के राज्यों की अलग-अलग स्थिति है। उत्तर के राज्यों में छोटी चक्की की बहुत समस्याएं हैं। छोटी-छोटी चक्की वाले ज्यादातर उत्तर भारत में हैं और दक्षिण भारत में बड़े मिल वाले है। तो अलग-अलग स्टेट्स की अलग-अलग स्थिति है। इसलिए मैंने इसका जिक्र किया।

दूसरी बात यह है कि वितरण व्यवस्था को स्ट्रीमलाइन करने का, एफ०सी०आई० की ओपन सेल पॉलिसी में सुधार लाने का हमने फैसला लिया। सदन सर्वोच्च है और मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री शिवचरण सिंह जी ने कुछ सवालों का जिक्र किया, मैंने उस संदर्भ में भी, जिन अनियमितताओं की जानकारी मुझे मिली एफ०सी०आई० के मातहत, उसमें मैंने अभी तक दो मामलों को सी०बी०आई० को भेजा है। मैंने अपने वक्तव्य में पारदर्शिता की बात कही है और यह सरकार केवल वचन में ही नहीं बल्कि काम में भी इसको साबित करके दिखाना चाहती है। कुछ अनियमितताओं की सूचना हमें पंजाब से मिली, कुछ शार्टेज था वहां, मैं इसका जिक्र अभी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह मामला सी०बी०आई० के अनुसंधान के अंतर्गत है जो जांच हुई थी, मैं उससे असंतुष्ट हो गया और मैंने कहा कि इसमें ठीक से कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए इसकी ठीक से जांच करने की जरूरत है। तो भारत सरकार की जो सर्वोच्च एजेंसी है सी०बी०आई०, मैंने इस मामले को सी०बी०आई० से सुपुर्द किया है। मैं समझता हूं कि जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। अभी अनुसंधान हो रहा है। अनुसंधान होने के बाद तुरंत इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई के जाएगी दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ। ऐसे दो मामले मेरे प्रकाश में आए हैं। एक हमारे राजस्थान में जैसा माननीय सदस्य न कहा है, जोशी जी का है और फिर अभी जो पत्र मिला है, मैं दोनों को समबद्ध करता हूं। उस मामले के संबंध में भी मैंने कहा

है कि एक सप्ताह में मेरे पास उसकी जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और जांच की उपरान्त जो कार्यवाही है, उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे और जवाबदेही फिक्स करेंगे उन अधिकारियों की जो अधिकारी खुले बाजार में...जिसकी चर्चा माननीय सदस्य ने की है, क्योंकि भ्रष्टाचार से संयुक्त मोर्चे की सरकार का कोई समझौता नहीं है। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जितनी भी कार्यवाही होनी चाहिए, वह अवश्य की जाए ताकि भ्रष्टाचार को दूर करने में हम सफल हो सकें।

अभी गुप्ता जी ने स्टाक के संदर्भ में कुछ बातें बताईं। स्टाक का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। स्टाक की ज़ानकारी तो हमारे पास हैं सभी राज्यों की। मैं उनको लिख कर भी भेज सकता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने मैदा और सूजी के निर्यात के संबंध में सवाल उठाए/मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह मैदा और सूजे जो व्हीट प्रोडक्ट है, यह पहली बार ओ०जी०एल० में था। इसको हम रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में लाए हैं और जो स्थिति है, जो कीमतों में वृद्धि हो रही है यो प्राइसेज को कर्ब करने के लिए, स्थिर रखने के लिए हमने इस फैसले को लिया है। अभी व्हीट प्राडक्ट के निर्यात को भी रेस्ट्रक्टेड कर दिया गया है। व्हीट रेस्ट्रक्टेशन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया कि गेहूं के निर्यात हेतु एफ०सी०आई० द्वारा बिक्री 25 जून, 1996 से ही बन्द है और 25 जून के बाद निर्यात का कोई समझौता एफ०सी०आई० के जरिए से नहीं हुआ है। कुछ माननीय सदस्यों ने मिड-डे-मील का सवाल भी उठाया है। मिड-डे-मील योजना में हमारे मानव संसाधन विकास विभाग के जरिए से एलोकेशन मांगा जाता है। चूंकि माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि उसको 70-80 हजार ही क्यों दिया गया है या इसका क्या सिस्ट्म है तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि एचआरडी डिपार्टमेंट से वेलफेयर स्कीम के लिए, मिड-डे-मील स्कीम के लिए हमारे पास जितनी डिमांड आती है, जो प्रस्ताव आता है, रियायती दर पर गेहूं देने के लिए तो हम उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर देते हैं, उसका एलोकेशन कर देते हैं। इसीलिए मिड-डे-मील का सारा काम एच०आर०डी० डिपार्टमेंट देखता है।

उपसभाध्यक्ष [श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी] पीठासीन हुए

जहां तक पीडीएस में राशन को उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में चर्चा की गई है, मैं समझता हूं कि यह अपर हाउस है, काफी प्रबुद्ध सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। पीडीएस में एक पाया केन्द्र सरकार का है, जिसका काम आवंटन करना है, एलोकेशन करना है। हम केवल फूड ग्रेंस का एलोकेशन करते हैं और वितरण की व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के जिम्मे है। जो भी राज्य सरकारें हैं या संघ राज्य हैं उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में वितरण का काम है। इसीलिए वितरण में राशन की दुकानों पर जो अनाज के नहीं जाने का मामला है वह केन्द्र सरकार से संबंधित नहीं है। केन्द्र सरकार सिर्फ उस राशन का, राज्य सरकारों को सिर्फ, एलोकेशन करती है लेकिन जब राशन की दुकानों पर यह सस्ते गल्ले की दुकानों पर, फेयर प्राइस शाप्स की दुकानों पर राशन नहीं मिलता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हम राज्य सरकारों को भी...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मंत्री जी, क्षमा करें। राम गोपाल यादव जी ने और राघवजी ने यह कहा था कि आपका कर्तव्य यह भी है कि आप थोड़ा मानीटरिंग करें कि कहां से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। क्योंकि समस्या यह है कि जनता को कैसे मिले? यहां पर राम गोपाल यादव जी उपस्थित नहीं हैं लेकिन राघवजी यहां पर हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जी, ठीक ही सवाल उठाया है।...**(व्यवधान)**...

प्रो० नौनिहाल सिंह: मैंने कहा था कि दिल्ली स्टेट में गोदामों से सप्लाई नहीं गई। इसीलिए प्राइस राइज हुआ।...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मंत्री जी अभी बता रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए अपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने इसकी और मेरा ध्यान खींचा है। सही बात है, माननीय सदस्य ने उस ओर इशारा किया था। मानीटरिंग के संबंध में हमने गाइड लाइन्स जारी की हैं। पीडीएस मानीटरिंग करने के लिए, सुपरवीजन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए हमारी गाइड लाइन्स यही हैं कि जो चुनी हुई पंचायत समिति है या नगरपालिकाएं हैं या और भी सामाजिक कार्यकताओं को आप उसमें लगा सकते हैं, चाहे वे किसी भी दल से संबंधित हों, जो इसमें इन्टरेस्ट लेते हैं। उपभोक्ताओं के हित में रूचि रखते हैं। ऐसे लोगों की आप कमेटी बनाकर पंचायत लेवल पर, ब्लाक लेवल पर, जिला लेवल पर और राज्य लेवल पर समय-समय पर इसकी सीमक्षा की जाए की राशन की दुकानों पर अनाज क्यों नहीं पहुंचता है जब कि हम अनाज का एलोकेशन करते हैं, केन्द्र सरकार एलोकेशन करती है। राज्य का कौन-सा तंत्र है जहां वह अनाज

होल सेलर के पास रह जाता है। इसकी मानीटरिंग करने के लिए ठीक ही आपने मेरा ध्यान खींचा था।

दूसरे और भी शक्ति हम राज्य सरकारों को देने जा रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 1984 में होर्डिंग लिमिट को खत्म कर दिया था क्योंकि उस समय भारत सरकार के पास गेहूं काफी था, पर्याप्त था और इसको लिस्ट से निकाल दिया गया था। अब होर्डिंग सीमा बांधने के लिए राज्य सरकारों को आज से छूट दे दी गई है और कल शाम को हमने यह फैसला लिया है, नोटिफिकेशन हो चुका है और नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। अब किसी भी राज्य को कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए, जमाखोरी करने वालों को पकड़ने के लिए, पूरी तरह से छूट है। उनको अब केन्द्र सरकार की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीन है, क्योंकि 1984 का जो आदेश था उसे मिनिस्ट्री ने इमीडिएट इफेक्ट से विदड्रा कर लिया है।

हमने इसकी पूरी जांच करके इंस्ट्रक्शन्स इश्यु कर दिये फूड मिनिस्ट्री से 30 सितम्बर को डायरेक्टिव निकला था स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए। हमने कन्ट्रोल एंड लाइसेसिंग आर्डर को विदड्रा करके राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया कि वे होल्डिंग लिमेट बांध दें ताकि ज्यादा गेहूं की होल्डिंग कोई भी आदमी न कर पाये। इस हालत में देश में चुनौती है कि कीमतों को आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से इसे न बढ़ाया जाये और होल्डिंग करके कालाबाजारी करने का उसको कोई मौका न मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कल से मैंने यह फैसला लिया है तो कल से ही महाराष्ट्र से शिवसेना का मैसेज आया है, देश के कई संगठनों सीपीआई और सीपीएम के लोगों का हमको फेक्स पर संदेश मिला है कि यह फैसला आपने बहुत ही अच्छा लिया है। इसके लिए उन्होंने वेलकम किया भी है। मैं समझता हूं कि इस फैसले से राज्यों को कार्रवाई करने की बराबर छूट हो गई है। राज्य अपने यहां लिमेट बांध दे कि इतने से ज्यादा गेहूं आपकी दुकानों में पाया जायेगा तो आपको गिरफ्तार किया जायेगा, क्योंकि गिरफ्तारी की चर्चा भी अपने की है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो भंडारण केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है उसके जरिये हमने कुछ काम, अपरेशन शुरू किये हैं। मैक्सिमम तो राज्य सरकारों के अंतर्गत हैं। अब राज्य सरकारों को अधिकार हो गया है कि होल्डिंग लिमेट करके गिरफ्तार कर सकती हैं। समय-समय पर उसकी मॉनीटरिंग करने का काम भी हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार के जरिये हो। हम उनसे संबंध बनाये रखें। राज्य सरकारों को समय-समय पर समीक्षा के लिए हम गाइडलाइन देने जा रहे हैं।

महोदय, पीडीएस के संदर्भ में मैंने बताया है क्योंकि हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि आप कालाबाजारी और जमाखोरी पर स्टेटमेंट देते हैं। हम स्टेटमेंट में विश्वास नहीं करते, काम में विश्वास करते हैं। इसलिए हमने देखा कि हमारे पास जो आदेश था उसको तुरन्त विदड्रा करके पूरा अधिकार राज्य सरकार को दे दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मंत्री जी, आपने पंजाब का जिक्र किया इसलिए इकबाल सिंह जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री इकबाल सिंह (पंजाब): महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और इनकी स्टेटमेंट भी मैंने कल पेपर में पढ़ी। इन्होंने अभी एफसीआई का जिक्र किया, पंजाब के बारे में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एफसीआई में जो शार्टेज आई है उसके बारे में इन्होंने क्या कदम उठाये हैं?

मेरी दूसरी बात यह है कि मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि इतनी कीमतें बढ़ गई कि एक गरीब आदमी दस किलो आटे का बैग लेने जायेगा तो सौ रुपये तक में उसको वह मिलेगा। क्या पंजाब के किसानों को ये इतने रेट दे रहे हैं? क्योंकि लोगों में जो इतना डिस्ट्रिब्यूट हो रहा है और एफसीआई की जो बात इन्होंने की है तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि राइस के मामले में इन्होंने जो फाइन और सुपर फाइन को सेपरेट किया है उस बारे में आफिसर्स जो काम कर रहे हैं उससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): फिलहाल आप आटे की बात करिये।

श्री इकबाल सिंह: सर, बाइचांस मैं यह समझा कि एफसीआई की बात कर रहे हैं। उसमें फाइन और सुपर फाइन राइस की बात भी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपको उसका अनुभव है।

श्री इकबाल सिंह: ये गरीबों के लिए आटे की बात करें। इनकी स्टेटमैंट यह आई है कि तीन दिन में कंट्रोल हो गया है लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप उनको समाप्त करने दीजिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः उपसभाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जब स्टॉक शार्टेज की जानकारी मिली थी तो उस पर कुछ कार्रवाई एफसीआई ने की थी लेकिन जब कार्रवाई मेरे संज्ञान में आई तो मुझे यह लगा कि यह शोर्टेज राष्ट्रविरोधी काम है। इस तरह का स्टॉक जिसे किसान मेहनत से पैदा करते है उसका हम प्रक्योरमेंट करते हैं इसीलिए मैंने इसको गम्भीरता से लिया और इसको सीबीआई के हवाले कर दिया। सीबीआई इन्वेस्टीगेशन या अनुसंधान के मामले में कोई मामला हो तो उसके बारे में सदन में कहना उचित नहीं होगा।

श्री शिवचरण जी ने अच्छा सवाल उठाया। उनको मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने स्टाक के विषय में पूछा और अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसके संबंध में पूछा था कि कितना स्टाक है इसकी जानकारी दीजिए। स्टाक के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि 1.11.96 को व्हीट का जो सैंट्रल पूल में स्टाक था वह 95.40 लाख टन था। आज की तारीख में दोनों को मिलाकर, बफर स्टाक और समूचे स्टाक को मिलाकर, 1.12.96 को हमारे पास लगभग 84 लाख टन गेहूं है। इसलिए पर्याप्त स्टाक हमारे पास है, पी० डी० एस० के मीट करने के लिए, वेलफेयर स्कीम को मीट करने के लिए। मैं इस सिस्टम को बंद कर देना चाहता था लेकिन आज के जो हालात है, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उनको देखते हुए कि कीमतों पर नियंत्रण रखना है, उनको कम करना है इसलिए ऐसा नहीं किया। इसलिए हम पाजिटिव सिस्टम, इस तरह का सिस्टम चलाना चाहते हैं जिससे इस पर नियंत्रण पाया जा सके। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं और अभी माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया कि इस पर नियंत्रण की दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बारे में शोर कहां मच रहा है? ठीक है कुछ राज्यों में ऐसी बात उठ रही है गेहूं की। गेहूं, रोटी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है। मैं भी समझता हूं कि जिंदगी का संबंध रोटी से है इसलिए यह इंसानियत की सबसे जरूरी जरूरियात है। लेकिन गेहूं का सबसे ज्यादा शोर दिल्ली और मुंबई में मच रहा है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया (बिहार): सागर में आदमी मर गए हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैं बता रहा हूं अहलुवालिया साहब। ...**(व्यवधान)...** लेकिन सब से ज्यादा हल्ला दिल्ली और मुंबई में है। दिल्ली के विषय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। कई माननीय सदस्यों ने दिल्ली के बारे में प्रश्न उठाया है। दिल्ली के मुख्य मंत्री साहिब सिंह वर्मा के साथ मेरी बात परसों हुई। इससे पहले भी जो पत्र उनका आया था, उस दिशा में भी हमने काम किया था। जो दिल्ली के सिविल सप्लाई मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी इस दिशा में मेरी वार्ता हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार से इस संदर्भ में कोई पाजिटिव पहल नहीं की है। मैंने काफी कोशिश की। लेकिन जो हमारा अलाटमेंट है उसको आपने देखा है। यहां पर कहा गया कि कुछ गोदामों में गेहूं नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आंकड़ों में मैं आपको ले जाऊं। लेकिन मैं यहां पर कुछ आंकड़े पढ़े देता हूं। ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी यहां पर कहा गया कि फलां फलां एफ० सी० आई० के गोदामों में गेहूं ही नहीं है।...**(व्यवधान)...**

मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 7.12.96 की रिपोर्ट है और मैं आज जवाब दे रहा हूं 10 तारीख को। 10 तारीख के जवाब में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मायापुरी में 19 हजार टन गेहूं है। मायापुरी गोदाम, जो एफ० सी० आई० का दिल्ली में स्थित है, वहां है 19 हजार टन। सी० टी० ओ० में है 360 मीट्रिक टन, ओखला में है 200 मीट्रिक टन, आर० पी० बाग में है 250 मीट्रिक टन, घेवरान में है 25 हजार मीट्रिरक टन, नरेला में है 4000 हजार मीट्रिक टन और शक्तिनगर में है 2600 मीट्रिक टन। सब मिलाकर 53410 मीट्रिक टन दिल्ली के विभिन्न एफ० सी० आई० के गोदामों में स्टाक भरा पड़ा हुआ है। ...**(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जो कुछ कभी रह गई है जब चतुरानन मिश्रा जी उड़ीसा के संदर्भ में अपना स्पष्टीकरण देंगे, उस समय कह देंगे।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: If all is well, if additional allotments have been made, if there is enough stock, if he has written to everybody to do all that is possible, why is it that there has been such a fantastic price rise? The Government must say that.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैं वही कह रहा हूं **(व्यवधान)**

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Government must say what the cause of the price-rise is. The Government must identify the emergent measure that it will take to protect the interests of the common people. Otherwise, it is all an essay.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नौनिहाल सिंह जी, आप भी पूछ लीजिये। इसके बाद व्यवधान नहीं होना चाहिये। मंत्री जी की विचार-धारा इससे टूट जाती है। मंत्री जी इसके बाद आप एक साथ सब का जवाब दीजिये। **(व्यवधान)**

PROF. NAUNIHAL SINGH: There is a very simple link to the whole problem, as Mr. Gupta has said. **मैंने भी यह सवाल पूछा** था। मंत्री जी कनफर्म कर रहे हैं कि हमारे पास दिल्ली में स्टॉक काफी है मगर सप्लाई क्यों नहीं किया? चूंकि सप्लाई नहीं हुई इसलिए प्राइस राइज़ दिल्ली में हुआ। देश की केपिटल में आप बैठे हैं, राइट इन फ्रंट आफ यूअर नोज़, फिर भी ऐसा हुआ, सप्लाई क्यों नहीं हुई दिल्ली की फेयर प्राइस शाप्स के लिए? **(व्यवधान)**

श्री ओ० पी० कोहली (दिल्ली): महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि अगर आपके पास दिल्ली के गोदामों में पर्याप्त मात्रा में भंडार था तो फिर सप्लाई क्यों नहीं हुई? दिल्ली के मुख्य मंत्री ने और दिल्ली के खाद्य मंत्री ने अपने पत्र में यह शिकायत की ओर जो आपका ध्यान आकर्षित किया, वह किस बिन्दु की तरफ किया था? वह बिन्दु क्या था जिसकी तरफ उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया था? **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह परसों बात कर ली है उन्होंने **(व्यवधान)**

मौलाना हबीबुर्रहमान नोमानी (नामनिर्देशित) : मंहगाई एक दिन में तो नहीं हुई। 6 रुपया से 7 रुपया, 7 रुपये, से 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया और फिर 14 रुपया, यह सब एक दिन में तो नहीं हुआ। आखिर गवर्नमेंट क्या कर रही थी? स्टॉक होते हुए भी क्यों महंगाई को बढ़ने दिया, क्यों गरीबों को मरने दिया? सवाल यह नहीं है कि आपके गोदामों में गेहूं है या नहीं है, सवाल यह है कि कीमत बराबर बढ़ती रही फिर आपने क्यों कोई कदम नहीं उठाया? क्यों नहीं पहले कुछ किया? 14 रुपये तक कीमत बढ़ने से क्यों नहीं रोका? यह आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपको कबूल करना चाहिये। **(व्यवधान)**

†مولانا حبیب الرحمان نعمانی: مہنگائی ایکدن میں تو نہیں ہوئی - 4 روپئے سے 7 روپئے 7 روپئے سے آٹھ روپئے - 9 روپئے 10 روپئے اور پھر 14 روپئے یہ سب ایکدن میں تو نہیں ہوا - آخر گورنمنٹ کیا کر رہی تھی - اسٹاک ہونے ہوئے بھی کیوں مہنگائی کو بڑھنے دیا - کیوں غریبوں کو مرنے دیا - سوال یہ نہیں ہے کہ آپکے گوداموں میں گیہوں ہے یا نہیں ہے - سوال یہ ہے کہ قیمت برابر بڑھتی رہی اور پھر آپنے کیوں کوئی قدم نہیں اٹھایا - کیوں نہیں پہلے کچھ کیا - 14 روپئے تک قیمت بڑھنے سے کیوں نہیں روکا - یہ آپکی ذمہ داری ہے - اسکو آپکو قبول کرنا چاہیئے - مداخلت

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह भी आपको जवाब देंगे। **(व्यवधान)**

श्री शिव चरण सिंह: मेरा भी एक प्रश्न है **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपने तो बहुत पूछ लिया है। **(व्यवधान)**

श्री शिव चरण सिंह: लेकिन उत्तर नहीं आया। मान्यवर, दिल्ली में 90 प्रतिशत आदमी फ्लोर मिल का आटा खरीदता है और फ्लोर मिल वालों को आपने छूट में गेहूं दी है। आपके एफ० सी० आई० के गोदामों में बड़ी भारी मात्रा में गेहूं पड़ा हुआ है। फ्लोर मिल वालों द्वारा बेचे जाने वाले आटे की कीमत पर आपने कंट्रोल क्यों नहीं किया? आपने उनको कंट्रोल प्राइस पर व्हीट दी है? इसलिए क्या आप उन पर कोई अंकुश लगाने जा रहे हैं **(व्यवधान)** आज से ही उन पर अंकुश लगाइये **(व्यवधान)**

श्री एस० एस० अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे भी पूछना है **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आपने स्टेटमेंट नहीं सुना।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: मैंने सुन लिया है। जो ब्यौरा मंत्री जी ने अभी दिया कि 56410 मीट्रिक टन गेहूं दिल्ली के गोदामों में है। मंत्री महोदय सदन को यह

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

बताने की कृपा करें कि इसमें फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड कितना है? कितना रिजेक्शन हुआ है, ज़रा यह बताने की कृपा करें? **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): इसके बाद मंत्री जी पूरा सीधा बता देंगे क्योंकि इसके बाद चतुरानन मिश्र जी को भी आप सुनना चाहेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं इनको लिख कर बता दूंगा।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: लिख कर नहीं मैंने तो यह पूछा है कि आप यह बता दें कि इसमें नॉन फूड ग्रेड पड़ा हुआ है जो जानवरों को खिलाने वाला है तो क्या आदमियों को खिलायेंगे **(व्यवधान)** नॉन फूड ग्रेड कितना है, यह बता दीजिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो भी फूड ग्रेन है, वह सब खाने लायक है। अभी हमारी दुलाई चालू है। अभी हमारे अधिकारी पंजाब गये थे। हमारे पास 53410 मीट्रिक टन का जो स्टॉक है, वह बिलकुल ठीक है। इस स्टॉक की जानकारी मैंने कल ही दी है, कल ही जानकारी ली है **(व्यवधान)**

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: वह तो आपने बोरे गिने होंगे। मैं तो फूड ग्रेड की बात कर रहा हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अहलुवालिया जी संतुष्ट हो गये हैं **(व्यवधान)** आप अपना उत्तर दें **(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था दिल्ली के संदर्भ में दिल्ली के गोदामों में जो स्थिति है, वह मैंने आपको बताई है। माननीय सदस्य ने जो चिंता ज़ाहिर की है, दिल्ली के मुख्य मंत्री के पत्र का जिक्र किया है, हवाला दिया है और फिर आपने फूड मिनिस्टर के विषय में कहा, मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश में क्या कारण है और सब से ज्यादा कम आफ टेक अगर कहीं हुआ है तो वह दिल्ली में हुआ है।

आप समझ नहीं रहे हैं ..**(व्यवधान)** मैं आपसे कह रहा हूं कि जुलाई 1996 में ...**(व्यवधान)** मैंने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जुलाई में 60 हजार टन प्रति माह हमने एलोकेट किया, दिल्ली प्रदेश के लिए और उठाया कितना, उठाने का अनुपात क्या है? आपने जुलाई में 41 हजार टन उठाया...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जवाब देने दीजिए। मंत्री जी को सुन लीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जुलाई में उठाया, 41800 टन और अगस्त में उठाया 44,900 टन तथा सितम्बर 1996 में उठाया 47800 टन जबकि हमने 60 हजार टन एलोकेट किया था। अक्टूबर 1996 में हमने 60 हजार टन एलोकेट किया दिल्ली प्रदेश की और उठाया है 40,800 टन। इसका कारण मैं बताऊं। मैं नहीं चाहता हूं ...**(व्यवधान)** कारण यह है कि दिल्ली सरकार अभी तक अपनी भण्डारण क्षमता पैदा नहीं कर पायी है। उनके पास कोई गोदाम ...**(व्यवधान)** मैं चाहता हूं कि आप गोदामों को बढ़ाएं। सी॰ डब्ल्यू सी॰ का हमारा गोदाम है। वही आप ले लीजिए, राज्य की तरफ से। लेकिन आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दिक्कत हो। मैं इसी लिए इस बात को कहना चाहता हूं

एक माननीय सदस्य: गलत बात है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): यह गंभीर समस्या है..**(व्यवधान)**

श्री शिव चरण सिंह: गेहूं राशन की दुकान से नहीं उठाया जाता। सीधा फ्लोर मिल से आटा लेते हैं लोग। गेहूं राशन की दुकान में लेने के लिए जाने के लिए किसके पास टाइम है..**(व्यवधान)**

एक अन्य माननीय सदस्य: पता नहीं मंत्री जी कहां से जवाब बता रहे हैं ..**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मेरी बात आप सुन लीजिए **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यह साधारण जनता की समस्या है। प्रशासनिक अगर कोई ...**(व्यवधान)** प्रशासनिक कोआर्डिनेशन की कमी अगर है, वे अलग से उनसे बात कर लें। हो जाएगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैंने जो उपाय किए हैं दिल्ली के लिए ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: आपको जो भी कहना है वह इधर कह दीजिए वे संतुष्ट हो जाएंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने दिल्ली प्रदेश के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। मैंने साफ साफ कहा था मुख्य मंत्री जी को, दिल्ली प्रदेश के, कि आपको गेहूं की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और मैं अपने वचन पर अभी भी अटल हूं। दो हजार टन

प्रतिदिन गेहूं हम दे रहे हैं। मैंने फूड मिनिस्टर तिवारी जी जो फूड मिनिस्टर है दिल्ली सरकार के, उनसे मैंने साफ साफ पांच रोज पहले कहा था कि आप कितना गेहूं उठा सकते हैं, चूंकि आप जब पारदर्शिता पर विश्वास करते हैं तो मैं सब बातें खोल दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं दो हजार टन से ज्यादा नहीं ले सकता हूं योंकि मैं फूड का, ग्रेन का मूवमेंट नहीं कर पाउंगा। मैंने कहा कि कितना ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि दो हजार टन प्रति दिन दीजिए। एफ०सी०आई० और भारत सरकार पूरी तरह तैयार है कि आप तीन हजार टन, चार हजार टन भी एक दिन में ले लीजिए तो हम देने को तैयार हैं। लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि हमारे पास व्हीकिल्स नहीं है। हम तो दो हजार टन से ज्यादा नहीं ले सकते । तो हम दो हजार टन प्रति दिन आपको आजकल गेहूं मुहैया कर रहे हैं। राशन की दुकानों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। आप लोग भी सुझाव दीजिए, और जो कालाबाजारी करने वाले या ब्लैक मार्केटियर्स लोग हैं उन पर बंदिश लगाने के लिए हमने आज आदेश जारी किए हैं। इसको धरती पर उतारने का काम करिए तभी समस्या से आप लड़ सकते हैं। अभी हमने जो विशेष व्यवस्था की है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। दिल्ली के लिए उपसभाध्यक्ष महोदय मैंने विशेष व्यवस्था की है। अभी हमारे हाथ में विज्ञापन है। सभी 13 अखबारों में मैंने विज्ञापन निकालकर कहा है। 13 अखबारों में मैंने विज्ञापन निकाला है। यह निर्णय किया है कि केन्द्रीय भंडार अपनी 68 शाखाओं से करेगा। मैंने हिसाब जोड़ लिया है। सब मिलाकर लगभग 122 दुकानें हैं केन्द्रीय भंडार निगम की और सुपर बाजार की। 122 दुकानें प्लस हमारे पास सब मिलाकर जो व्हीकिल्स है वे है 39—भारतर सरकार के पास। मोबाइल हैं। हमारे पास जो मोबाइल वैन हैं उनकी संख्या 39 है। कल ही शाम से है। आज चलकर देखिए। मैं खुद यहां से उठने के बाद इन्सपेक्शन करने जा रहा हूं। सभी मोबाइल वैनों में भारत सरकार के बैनर लगे हैं—6 रुपए 40 पैसे। जितना आटा लेना हो लें, दस किलो के पैक बने हुए हैं, 64 रुपए में, एगमार्क है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): उनको बोलने दीजिए...(**व्यवधान**) उनको बताने दीजिए।

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): 39 हमारी मोबाइल वैनें विभिन्न दूरदराज इलाकों में, झुग्गी झोपड़ियों में, गरीब लोगों के इलाकों में 5.00 बजे तक चलेंगी। 11.00 बजे से लेकर 5.00 बजे तक। मैंने विशेष कार्य योजना बनायी है, ड्राइव बनायी है ताकि जो कालाबाजारी और जमाखोरी है उससे मुकाबला करने के लिए और कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए... मैंने जो पाजिटिव कदम लिया है, सकारात्मक पहल किया है उससे 39 मोबाइल वैन मैं दिल्ली में चला रहा हूं। आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं मैं 5.00 बजे खुद भी यहां से जाने के बाद जाऊंगा इसके बाद हमारे पास 118.122 दुकानें हैं जहां हमारा एगमार्क का आटा 6 रुपये 40 पैसे के भाव से मिल रहा है। मैं समझता हूं। एक सप्ताह के अंदर, जिनकी मंशा थी कि इस गेहूं के दाम और ऊंचा सर्केंगे इस मामले को पोलिटीकलाइज़ बना देंगे, उनकी मंशा चूर-चूर हो जाएगी क्योंकि यही मुख्य है जन वितरण प्रणाली के लिए, गरीबों के लिए, हमारे पास गेहूं के स्टाक की कोई कमी नहीं है। हम वितरण को चुस्त और दुरुस्त कर रहे हैं और एक सप्ताह के अंदर इस पर काबू पाने का काम हम करेंगे और इसमें हम कामयाब होंगे। आप लोगों से भी हम सहयोग चाहते हैं कि आप लोग सहयोग करिए खास करके दिल्ली और बम्बई प्रदेश के भाइयों से मैं सहयोग चाहता हूं। क्या कारण है कि दिल्ली और बम्बई में ही सब से ज्यादा जमाखोरी में हमारा गेहूं पड़ा हुआ है। लेकिन यह जो कानून है अब उनको भी जेल जाने से रोक नहीं सकता है जो कानून आज से लागू हो।..(**व्यवधान**)

श्री गुरुदास दासगुप्त: अरेस्ट कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): देखिए दासगुप्त जी तो बार-बार आपसे कुछ न कुछ कहते रहेंगे। इसलिए मंत्री जी आपने जो बात कहनी है उसे कह कर आप समाप्त करिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सरकार गरीबों और कमजोर वर्ग के हितों के लिए किसी दूरी तक जा सकती है और यह हमारा कमिटमेंट है, समर्पण है। इसलिए गेहूं के सवाल पर कोई भ्रष्टाचार से समझौता नहीं होगा, इस रास्ते में जो भी आएगा हम उसका मजबूती से सामना करेंगे। जब हम कालाबाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही कर रहे हैं, विशेष योजना बना कर यहां हम दिल्ली में 6 रुपये 40 पैसे आटा उपलब्ध करा रहे हैं। यह हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि एक दिन के भीतर "Rising trend in wheat prices reversed." यह मैं नहीं कह रहा हूं यह इकोनोमिक एडीटर्स का एजेलेसिस है। पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के समय मैं कहता हूं, फिर जहां विल नहीं होता है वहां रास्ता नहीं मिलता, हममें विल है, इच्छा शक्ति है, हम इच्छा शक्ति से काला बाजारियों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और गेहूं के

मूल्यों पर एक सप्ताह के अंदर नियंत्रण कर पायेंगे और गरीब लोगों की दिल्ली के अन्दर आटा 6 रुपये 40 पैसे उपलब्ध करा रहे हैं और सभी राज्य सरकारों को हमने पत्र लिखा है कि हमने यह होर्डिंग लिमिट बांधा है, और यह 1994 का कानून विदड्रा किया है। मैंने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि आपके पास यदि कोआपरेटिव हो, आपके पास कोई भी संस्था हो जो गेहूं लेना चाहे उसकी कोई सीमा नहीं होगी। उनको अर्नेस्ट मनी नहीं लगेगा। उनको जो 10 परसेंट अर्नेस्ट मनी लगता है ओपन सेल में लेने के लिए उनको हम अर्नेस्ट मनी भी फ्री करते हैं। वे जितना गेहूं लेना चाहें ले सकते हैं लेकिन निश्चित दाम पर देना होगा मेरा शर्त यही है, उससे अंडरटेकिंग हम लेते हैं। आज भी जब ओपन सेल हो रहा है तो पहली बार ओपन सेल में भी यही शर्त है। क्योंकि कुछ लोग, निहित स्वार्थी लोग इस बात को जोर से उठा रहे हैं जो कि इस सवाल को बनाना चाहते हैं। सभी माननीय सदस्यों को इस पर गंभीरता से सोच कर इस पर विचार करने का यह वक्त है। तो कुछ लोग दूसरे काम में लगे हैं। हमने ओपन सेल में भी शर्त रखी है। ओपन सेल का गेहूं उसी को मिलेगा जो दो सौ टन या पांच सौ टन तक लेगा, हाइस्ट लिमिट हमने पांच सौ टन रख दिया है, क्योंकि कीमत बढ़ने की बात हो रही है। इसलिए पांच सौ टन तक उसी को मिलेगा जो निश्चित रूप से हमको अंडरटेकिंग लिख कर देगा कि हम कम दाम पर आटा, जो गेहूं का प्रोडक्ट है उसको कम दाम पर बेचेंगे यह अंडरटेकिंग जब देगा तभी हमारा एफ०सी०आई० का गेहूं, श्री मैन कमेटी जो बनायी है, वह दे सकता है, वरना वह गेहूं नहीं मिलेगा। जमाखोरी करने वाले और काला बाजारी करने वाले को गेहूं नहीं मिलेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मंत्री जी, आपने कई दफा इसको दोहरा दिया है।...(**व्यवधान**)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत-बहुत आभार आपके प्रति व्यक्त करता हूं और माननीय सदस्यों के प्रति भी कि उन्होंने अपनी काफी रुचि दिखाई है और जो कुछ मामला माननीय सदस्यों का है तो साफ कह देना चाहता हूं कि आप लिख कर भेजिए, एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही की सूचना हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने यहां पर एक सवाल पूछा था कि पी०डी०एस० से, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आधे दाम पर दिलवाने की कब से आपकी योजना है? इसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।

†[श्री जलालुद्दीन अंसारी "बिहार": आप सप्लाई मिनिस्टर हैं। हमने यहां पर यह सवाल पूछा था कि पी०डी०एस० से, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए आधे दाम पर दिलवाने की कब से आपकी योजना है? इसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया है।]

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): कब से करेंगे, यह तारीख बता दीजिए?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, उसी समय से मैं ने मंत्रालय में इसे वर्क-आउट कर के, सारी तैयारी की है और अब यह मामला अंतिम दौर में है। किसी भी क्षण हम इस की घोषणा करने वाले हैं। अब सदन में संपूर्ण औपचारिकता पूरी कर के ही घोषणा करना लाज़िमी होगा। माननीय सदस्य निराश न हो आनेवाला जो दिन होगा, उस में आधे दाम पर वह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): थोड़ासा धैर्य रखिए।...(**व्यवधान**)... अब यह प्रकरण समाप्त हो गया।

श्री लक्खीराम अग्रवाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, स्पेशल मेंशन के बारे में पूछ रहा हूं?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अभी तो चतुरानन मिश्र जी का उड़ीसा के संबंध में जो स्टेटमेंट हुआ था, उस के ऊपर क्लैरीफिकेशंस होंगे क्योंकि वह भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है। उस के बाद फिर उसे लेंगे।

†[ ] Transliteration in Arabic Script.